व्यक्तिगत अध्ययन व्याख्या एवं विवेचना

अध्याय–चतुर्थ

व्यक्तिगत अध्ययन व्याख्या एवं विवेचना

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक – 01

1. सामान्य जानकारी :

आशा सोनाडोगंरी, रतलाम, मध्यप्रदेश की रहने वाली है जिसकी उम्र 15 वर्ष हैं वर्तमान में कक्षा दसवी में अध्ययनरत है। आशा वर्ष 1998 से किशोर बालिका गृह में है। आशा सामान्य कद काठी की गेहुंए रंग की बालिका है।

2. पारिवारिक जानकारी :

आशा के पिता जाति के राजपूत हैं और राजस्थान में खेती करते हैं पिता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है। बालिका की मॉ का नाम राजकुमारी है जो कि अनपढ़ है मॉ खेतों में मजदूरी करती थी। घर की आर्थिक स्थिति निम्न हैं आशा के पिता का व्यवहार आशाके साथ ठीक नहीं था। वे हमेशा आशा के साथ बुरा बर्ताव करते थे और मॉ को भी डॉटते–मारते पीटते थे। मॉ का व्यवहार आशा के साथ ठीक था परंतु पिताजी के जाने के बाद मॉ भी कुछ दिनों के बाद आशा को उपेक्षित छोडकर कहीं चली गई। बालिका के अनुसार उसकी दो सौतेली छोटी बहनें है। आशा के अन्य रिश्तेदारों से कोई संबंध नही है।

3. समस्या का विवरण :

आशा के पिता ने आशा की मॉ के रहते हुए भी दूसरी शादी कर ली। आशा व उसकी मॉ गॉवके किसी एक लड़के साथ रतलाम में विजयसिंह नामक व्यक्ति के खेत पर काम करने लगी। कुछ समय पश्चात् मॉ आशा व उस गांव के लडके को छोडकर कहीं चली गई तब विजयसिंह ने पुलिसवालों को बुलाकर आशा को सौंप दिया।

पुलिस के माध्यम से आशा को किशोर कल्याणबोर्ड बैतूल भेजा गया। जहां आशा ने झूठ बोलकर पुलिस व न्यायालय को गुमराह किया। बोर्ड के माध्यम से आशा को दो

साल विदिशा में संप्रेक्षण गृह में रखा गया फिर उसके बाद 22.06.98 को किशोर बालिका गृह भोपाल भेजा गया।

संस्था में आकर भी बालिका द्वारा गलत जानकारी दी गई। बालिका द्वारा विजयसिंह को अपना पिता बताया जिसके यहां उसकी मॉ काम करती थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बताई गई जबकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत निम्न है। ऐसी जानकारी स्वयं विजयसिंह के साथ संस्था द्वारा दिये गये पत्र व्यवहार से पता चलती है।

4. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

आशा की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच है एवं वजन 43 किलोग्राम है आशा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बालिका को कोई गंभीर स्वास्थय समस्या नही है। श्रवण, वाक व दृष्टि क्षमता सामान्य है।

5. विद्यालयीन विवरण :

वर्तमान में आशा कक्षा दसवीं में सतगुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू गनर की छात्रा है। आशा का रूचिकर विषय हिंदी और अरूचिकर विषय गणित है। आशा द्वार स्कूल में किसी भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लिया जाता। स्कूल में आशा के अपने सहपाठियों से संबंध अच्छे नहीं है। उसकी कक्षा की अन्य छात्राओं के अनुसार वह सदैव झगड़ा करती रहती है। अध्यापकों से आशा के संबंध मधुर है।

6. विशेष रूचि :

आशा की विशेष रूचि पेंटिंग व संगीत में है। किशारे बालिका गृह में वह खाली समय में पेंटिंग बनाती है। उसे आकश में उडते पक्षीयों और नदी ताला ब की तस्वीर बनाना बहुत पसंद है।

7. आशा के व्यवहार संबंधी जानकारी :

आाशा शांत, प्रसन्नचित, साहसी, स्थिरचित्त और सहयोगी है। साथ–साथ दिवास्वप्नी भी है। जिसमें विश्वास की कमी है।

आाशा के व्यवहार का ऋणात्मक पक्ष – आशा अनाज्ञाकारी है, ध्वंसात्मक है जिसमें बदला लेने की भावना है।

8. किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों तथा अन्य बालिकाओं के आशा के संबंध में विचार :

किशोर बालिका गृह की बालिकाओं के अनुसार आशा साधारणतः ठीक है परंतु कभी कभी झगड़ा करती है।

स्टॉफ के सदस्यों का कहना तो मानती है किंतु 2–3 बार बार कहने पर ही कोई काम करती है। आशा को गलती करने पर और भय जगाने के लिए दण्ड मिलता है।

9. मनोवैज्ञानिक परीक्षण :

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि आशा चिंतित, चिड़चिड़ी एवं जरा सी भी हलचल से परेशान हो जाती है और आलोचना का बहुत ध्यान रखती है साथ ही आसानी से और जल्दी नाराज हो जाती है। सनकीपन व्यवहार में दिखता है एवं असंतुष्ट रहती है काल्पनिक भय से ग्रसित रहती है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र खेल कूद, सामान्य रूचि का क्षेत्र समाजसेवा है।
3 समायोजन परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि आशा का तीनों प्रकार की समायोजन (स्वतः, समूहतया, कुल) आदि निम्न है।
4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धिलब्धि को औसत श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। (50:)

10. किशोर बालिका गृह में बालिका द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यकलाप :

संस्था में सप्ताह में अलग–अलग दिन आशा अलग–अलग कार्य करती है जैसे–साफ–सफाई, रसोई के काम में हाथ बंठाना, पानी भरना, बर्तन जमाना, खाना खाने के लिए दरी बिछाना आदि। इसके अलावा पढ़ाई–लिखाई, प्रार्थना, योग एवं सिलाई–कढ़ाई सीखने का काम किया जाता है।

11. आशा का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

आशा के कथनानुसार– उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। मॉ बहुत मारती पीटती थी। घर का कामकाज करवाती थी, खाने को भी नहीं देती थी। पिता से पढ़ने

को कहा तो उन्होंनं एक व्यक्ति के पास भेज दिया। जिनके याहं पुलिस ने आकर पकड़ लिया और इसी तरह संस्था आ गई।

1. आशा कहती है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हैं घर में सुख सुविधा का सारा सामाना मौजूद है।
2. आशा कहती है कि उसे संस्था में बिल्कुल अच्छा नही लगता वो तो मजबूरी के कारण यहॉ रह रही है।

12. अनुसंधानकर्ता का अवलोकन एवं विश्लेषण :

आशा से बातचीत करने पर पाया गया कि आशा में काफी बचपना है आशा एक अल्हड़ और भोली लड़की है जो दिवास्वप्नी है। इसी कारण कहीं भी अपने बारे में सच नहीं बताती है। संस्था के माध्यम से पता लगवाने पर रतलाम पुलिस द्वारा आशा के बारे में सही जानकारी दी गई।

आशा पूर्ण रूप से स्वस्थ है पढ़ाई–लिखाई में औसत है। नेतृत्व क्षमता नहीं है न ही किसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेती है।

किशोर बालिका गृह से निकलने के बाद भावी जीवन के संदर्भ में आशा कहती है कि वो म्यूजिक सीखेगी और गायिका बनेगी।

13. निष्कर्ष :–

उपरोक्त जानकारियों के विश्लेषण के बाद निम्नलिखित कारक आशा के उपेक्षित बालिका होने के लिए उत्तरदायी माने जा रहे है :–

1. बचपन में समुचित देखभाल की कमी।
2. बडा परिवार अथवा माता पिता के कलहपूर्ण संबंध।
3. आशा की झगडालू और झूठ बोलने की प्रवृत्ति।
4. उत्तम वातावरण का अभाव।

व्यक्तिगत जानकारी – 2

1. **सामान्य जानकारी :**

आफरीन सिंधी कॉलोनी, भोपाल म. प्र. की निवासी है। इसकी उम्र 14 वर्ष है तथा पॉचवी कक्षा में अध्ययनरत है। वर्तमान में किशोर बालिका गृह में वर्ष 2001 से रह रही है।

2. **पारिवारिक जानकारी :**

आफरीन के पिता श्री अजीज मोहम्मद ट्रक चलाते हैं जाति के पठान है तथा अनपढ़ हैं। माता श्रीमति मुमताज़ बी है जो कि गृहणी हैं तथा अनपढ़ है।
आफरीन के माता पिता में तलाक हो जाने के बाद मॉ ने रसूल मोहम्मद नामक व्यक्ति से शादी कर ली। जो कि ऑटो चलाता है। आफरीन की एक सगी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है तीन सौतेले भाई है।

आफरीन का परिवार निम्नमध्यमवर्गीय माना जा सकता है। आफरीन के सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था तथा वो अक्सर मारपीट किया करते थे। इसलिए आफरीन को उसकी मॉ ने नानी के यहॉ रहने भेज दिया था।

3. **समस्या का वर्णन**

आफरीन की नानी ऑगनबाडी की चपरासीन है। आफरीन के नाना ने भी दो शादियॉ की हैं। नानी के यॉ आफरीन की सौतेजी मौसी के पति का आना जाना थ। एक दिन आफरीन को घर में अकेला पाकर सौतेले मौसा राईसखॉ द्वारा उसके साथ दृष्कृत्य किया गया।

दिनांक 15.04.2000 को इसकी रिपोर्ट माता–पिता द्वारा महिला थाने में की गई। भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के तहत रईस खॉ को दुष्कृत्य के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

बाद में बालिका को किसी भी रिश्तेदार ने रखने से इंकार कर दिया। बालिका फिर से अपनी नानी के यहॉ ही रहने लगी। वहॉ से किसी रिश्तेदार के कहने पर उसके

साथ आष्टा चली गई। मॉ ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। आफरीन को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद जुलाई 21.07.2001 में किशोर बालिका गृह, भोपाल भेजा गया।

4. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

आफरीन 5 फीट 2 इंच की 43 किलोग्राम वजन की एक स्वस्थ्य लडकी है। आफरीन को संस्था में आने के बाद से आज तक कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नही हुई। उसी श्रवण, वाक, दृष्टि क्षमता भी सामान्य है।

5. किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों और अन्य बालिकाओं के विचार :

आफरीन के बारे में संस्था की परिविक्षा अधिकारी श्रीमति अंसोनिया इक्का मैडम ने बतायाकि आफरीन की काउंसलिंग में दो से ढाई महीने लगे। जिसमें आफरीन ने सब कुछ सच बताया।

आफरीन का संस्था के बच्चों के साथ व्यवहार औसत है। आमतौर पर सभी कर्मचारियों का कहना मान लेती है।

सिंधी कॉलोनी में आफरीन की ज्यादातर सहेलियों ने पढ़ाई छोड दी है तथा जो पढ़ाई कर रही है उनकी पढ़ाई का स्तर सामान्य से नीचे है।

आफरीन के संबंध में जब उसके मोहल्ले में रहने वाली सहेलियों शालू चंदानी और तबस्सुम खॉन से पूछा तो उनका कहना था कि आफरीन एक सीधी साधी और नेक लड़की है जिस पर खुदा ने और किस्मत ने हर तरफ से जुल्म ढाए है।

6. मनोंवैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम :–

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि आफरीन काल्पनिक अस्तित्व पसंद करती है ओर घर में रहना पासंद करती है। इसके अलावा य गैर जिम्मेदार प्रकृति की है। दिवास्वप्न देखने वाली है। नर्वसटाइप की है। मित्र बहुत कम है, शर्मीली है।

2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा बालिका का अत्यधिक रूचि का क्षेत्र खेल साहित्य व सामान्य रूचि का क्षेत्र समाजसेवा है।

3. परीक्षण के अनुसार समायोजन क्षमता अत्यंत कम है।

4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बालिका की बुद्धिलढिथ सामान्य से ऊपर सें है।

आशा के समान आफरीन भी किशोर बालिका गृह में दिये गए सभी दायित्वों को और बाँटे गए कामों को नियमानुसार करती है।

7. आफरीन का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

आफरीन बहुत दुःखी और भयभीत है। क्योंकि रईस खॉ (दुष्कृत्य) ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद सभी रिश्तेदारों ने उसका परित्याग कर दिया इससे वह ग्लानि से भर जाती है। वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहती है।

8. आफरीन के संबंध में उसके रिश्तेदारों के विचार :

आफरीन की मॉ से जब अनुसंधानकर्त्ता द्वारा बात की गई तब उन्होंने कहा कि सौतेले पिता द्वारा उसे बार–बार मारपीट से बचाने के लिए मैं नानी के घर आफरीन को छोड आई थी कि वो वहॉ महफूज रहेगी पर मुझे क्या मालूम था कि अपने ही ऐसा करेंगे।

नानी के अनुसार वो ऑगनवाडी गई थी रोज के समान ही आफरीन घर में अकेली थी तभी सौतेले मौसा की नीयत खराब हो गई। अब तो एक ही दुआ है कि ऊपर वाला इस दुःख को सहने की ताकत दे।

मॉ और नानी ने बार –बार यही कहा कि आफरीन संस्था में ही रहे क्योंकि वो वहॉ सुरक्षित है।

9. सौतेले मौसा तथा दुष्कुत्य का आरोपी :

रईस खॉ जो कि आफरीन का रिश्तेदार है तथा दुष्कृत्य कर्त्ता भी। अनुसंधानकर्त्ता उससें करोंद जेल मिलने गई। रईस खॉ पूरी तरह से वकील की भाषा

बोलता है तथा उसके अनुसार आफरीन की चाल चलन ही गलत है वह तो उसके पिता समान है। रईस खॉ के चेहरे पर पश्चाताप के कोई रेखा नहीं है। पुलिस उसे अच्छा आदमी नहीं मानती।

10. अनुसंधानकर्त्ता द्वारा किया गया अवलोकन तथा विश्लेषण :

अनुसंधानकर्त्ता के अनुसार आफरीन एक शांत गुपचुप सी रहने वाली लडकी है जो कि काफी डरी हुई है। आफरीन से बातचीत में यह पाया कि उसके साथ यह घटना परिवार में ही घटित हुई है इसलिए वह परिवार में सुरक्षित नहीं है। वह पढ़ने–लिखने में मन लगाती है। उसका रूचिकर विषय विज्ञान है। वह घर नहीं जाना चाहती है। किशोर बालिका गृह की बालिकाओं के साथ काफी अच्छे से रहती है। किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। व्यवहार से आत्म अनुशासित तथा शालीन लगती है।

11. निष्कर्ष :

आफरीन को संस्था में आए ज्यादा दिन नहीं हुए है। उसकी मानसिक स्थिति खेदपूर्ण है परिवार से पूर्णरूप से उपेक्षित और शारीरिक रूप से शोषित है।

परिवार की लापरवाही और बालिका को पूर्ण परवरिश ने होने के कारण यह घटना घटित हुई चूंकि बालिका नाबालिग है अतः इस हादसे का असर ऐसा हुआ है कि बालिका अत्यंत क्षुब्ध हो गई है और उसे समाज व रिश्तेदारों से घृणा हो गई है।

12. समस्या सुधार हेतु सुझाव :

आफरीन के साथ ये घटना चूंकि परिवार में ही घटित हुई अतः उसे घर नहीं भेजा जाना चाहिए। क्योंकि वहॉ उसका शोषण पुनः हो सकता है। चूंकि बालिका पढ़ाई लिखाई की तीव्र इच्छा मन में रखती है। अतः उसे इस ओर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अन्य कार्यो में भी निपुण हो जिससे कि आत्मनिर्भर बन सकें। और एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। भविष्य उज्जवल हो जिससे कि वो अपने साथ हुए हादसे को भूल सकें।

व्यक्तिगत अध्ययन – 03

1. सामान्य जानकारी :

कु. वर्षा ग्राम सुल्तानगंज जिला रायसेन, मध्यप्रदेश की रहने वाली है जिसकी उम्र 13 वर्ष है जो कि कक्षा दसवी की छात्रा है। वर्षा रूप रंग में सामान्य है परंतु वर्षा के नैन नक्श कभी आकर्षक है। वर्षा को धारा 13(1) के तहत किशोर बालिका गृह भेजा गया है।

2. विद्यालयीन जानकारी :

वर्षा के संबंध में किशोर बालिका गृह की शिक्षिका बताती हैं कि वर्षा जब संस्था में आई तो पिछले वर्षो का कक्षा परिणाम उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्षा को कक्षा चार में उम्र के अनुसार प्रवेश दिया गया। संस्था में आने के पूर्व वर्षा के अनुसार वह स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के तहत अध्ययन कर रही थी। यूँ तो वर्षा की पढ़ाई के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। वर्षा का अरूचिकर विषय हिंदी है उसे बाकी सभी विषय अच्छे लगते हैं। विद्यालय में होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बालिका भाग लेती है। विशेष रूचि पढ़ाई में है, नेतृत्व क्षमता नहीं है।

3. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

वर्षा 4 फीट 4 इंच की 32 किलोग्राम की दुबली पतली लड़की है जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जबसे संस्था में आई है तब से इसको स्वास्थ संबंधी कोई समस्या नहीं है।

4. पारिवारिक जानकारी :

वर्षा के पिता का नाम काशीनाथ पांढेकार है जो कि महाराष्ट्रीयन बौद्ध है एवं रजाई सिलने–भरने का कार्य करते हैं। बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मॉ सीता और पिता स्वयं वर्षा को मारते पीटते थे।

वर्षा के दो सगे भाई बहन एवं दो सौतले भाई बहन है। घर की आर्थिक स्थिति निम्न है। माता–पिता की शिक्षा के संबंध में वर्षा को जानकारी नहीं है। वर्षा के अनुसार उसके अपनी सौतेली माता और पिता से संबंध अच्छे नहीं थे।

5. समस्या की जानकारी :

सौतेली माता और अपने पिता के द्वारा रोज–रोज की मारपीट से वर्षा तंग आ चुकी थी। वह कहती है कि सौतेली मॉ उससे जानवरों जैसा व्यवहार करती थी फलतः एक दिन सन् 2001 में घर से भागकर भोपाल आ गई।

भोपाल स्टेशन पर वर्षा को रविचंद नामक एक युवक मिला जो कि स्टेशन पर लावारिस लाशें उठाने का कार्य करता था। रविचंद ने उसे अपने साथ रहने व खाने पीने का लालच दिया तो वर्षा भी तैयार हो गई कितु रविचंद अच्छा आदमी नहीं था। वह वर्षा से अपने घर में खाना बनाने, रखवाली करने का काम करवाता था और उसका यौन शोषण भी करता था।

जब रविचंद दिन में काम पर जाता तो वर्षा पास के औपचारिकेत्तर शिक्षा केंद्र में पढ़ने जाती थी। जिसके लिए उसे डांट व मार खानी पडती थी। उस केंद्र के माध्यम से ही वहॉ की सलहाकार द्वारा वर्षा को किशोर कल्याण बोर्ड, भोपाल भेजा गया और न्यायालय द्वारा वर्षा को किशोर बालिका गृह में 12.01.2002 को धारा 13(1) के तहत भेजा गया।

6. घटना के संबंध में रविचंद से प्राप्त जानकारी :

अनुसंधानकर्त्ता ने करोंद जेल, भोपाल में जब रविचंद से वर्षा के संबंध में पूछा तब उसने बताया कि वो वर्षा को चाहता है तथा उससे भविष्य में शादी भी करने वाला था। उसे अपने कृत्य पर पछतावा नही है परंतु वो वर्षा के उसके पास से चले जाने पर गुस्सा है। परंतु रविचंद जो भी कहता है उसमें सच्चाई जरा भी नजर नहीं आती।

7. वर्षा के बारे में उसकी सौतेली मॉ और पिता के विचार :

किशोर बालिका गृह में वर्षा के पिता और सौतेली मॉ उससे मिलन आते हैं पिता काशीनाथ के अनुसार वर्षा ने घर छोडकर खुद अपने पैर पर कुल्हाडी मारी। वर्षा ने घर से अच्छा दुनिया को समझा परंतु नतीजा सामने है वे वर्षा को ऊपरी दिखावे के लिए तो

कहते हैं घर ले जाने को परंतु यह भी कहते है कि अब घर ले जाने से मेरे दूसरे बच्चों पर अच्छा असर नहीं पडेगा। सौतेली मॉ तो वर्षा को काफी भला–बुरा संस्था में ही कहती है।

8. किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों तथा बालिकाओं के विचार :

परिवीक्षा अधिकारी श्रीमति अंतोनिया इक्का मैडम तथा अन्य कर्मचारियों के अनुसार वर्षा सीधी सादी ग्रामीण बालिका है तथा सबके साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव करती है। वर्षा ज्यादातर चुप रहती है एवं ऐसे बहुत कम अवसर आते है जब उसे डांट पडती है। अपने से छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। अपने सभी काम जिम्मेदारी से करती है।

9. मनोंवैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विशलेषण से ज्ञात हुआ कि वर्षा व्यावाहारिक और परिपक्व और शर्मीली, अच्छा व्यवहार करने वाली एवं स्वयं पर विश्वास रखने वाली प्रसन्नचित लड़की है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण से अत्यधिक रूचि का क्षेत्र साहित्य और सामान्य रूचि का क्षेत्र समाजसेवा है।
3. समायोजन परीक्षण में स्व समायोजन, समूह समायोजन एवं कुल समायोजन उच्च है।
4. बुद्धि परीक्षण द्वारा वर्षा की बुद्धिमत्ता औसत से नीचे है।

10. अनुसंधानकर्त्ता का अवलोकन एवं विश्लेषण :

वर्षा एक सीधी सादी लडकी है। स्वभाव से काफी मिलनसार है तथा छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। वर्षा उदास एवं सामान्यतः शांत रहने वाली लड़की है। वर्षा पढ़ाई लिखाई कर के मेहनत से शिक्षक बनना चाहती है। अधिक पूछताछ करने पर वर्षा जल्दी ही रोने लगती है।

11. निष्कर्ष :

वर्षा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त होने के बाद यही कहा जा सकता है कि वर्षा एक उपेक्षित लडकी है जिसको कि इतनी कम उम्र में परिवार की उपेक्षा व समाज

के शोषण का शिकार होना पड़ा परिणामस्वरूप इस अल्पायु में ही उसका बचपन छिन गया।

संस्था में आने के बाद से निरंतर उसमें परिवर्तन आया है संबंधियों और परिवार वालों से कोई स्नेह नहीं रखती, न ही वापस घर जाना चाहती है।

12. समस्या सुधार हेतु सुझाव :

वर्षा की समस्या को देखने हुए यही कहा जा सकता है कि उसे उसके घर न भेजा जाए अपितु संस्था में ही अधिक से अधिक प्रोत्साहन व पारिवारिक माहौल देकर उसकी पढ़ाई लिखाई व प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से वो अपनी जिदंगी की पिछली घटनाओं को भुला सकेगी और उसका सर्वागिण विकास भी होगा और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

व्यक्तिगत अध्ययन – 4

1. सामान्य जानकारी :

कुमारी बिंदु गल्लामंडी, इन्दौर मध्यप्रदेश की रहने वाली है जिसकी उम्र 15 वर्ष है। कुमारी बिंदु एक औसत कद काठी की स्वस्थ, सुंदर लड़की है जिसकी ऊंचाई 5 फिट है वजन 40 किलोग्राम है। वर्तमान में कक्षा आठवी में है।

2. स्वास्थय संबंधी जानकारी :

सामान्य अवलोकन में बिंदु हँसमुख प्रतीत होती है। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बिंदु की श्रवण, वाक् दृष्टि क्षमता सामान्य है। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है।

3. पारिवारिक विवरण :

बिंदु के पिता श्री सैय्यद सुल्तान बादशाह है जो कि शारीरिक रूप से विकंलाग है तथा जो कि मध्यप्रदेश में इंदौर के निवासी हैं तथा इनकी जूते–चप्पल की छोटी दुकान इंदौर में ही है। श्री सैय्यद थोड़ा पढ़ना लिखना जानते है। श्रीमती सबीरा बिंदु की मॉ है जो कि अनपढ़ हैं। माता–पिता के आपसी संबंध कलहपूर्ण थे इसलिए दोनों में तलाक हो गया। मॉ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता रोज–2 शराब पीकर घर आते है। इसलिए माने उसे भी तलाक देकर तीसरी शादी कर ली। बिंदु को भी छोटी मोटी चोरी की आदत थी तथा माता–पिता के द्वारा सही मार्गदर्शन न मिलने से तथा घर का माहौल कलहपूर्ण होने के कारण बिंदु घर से भाग गई।

बिंदु की एक सगी बहन एवं तीन सौतेले भाई बहन हैं। बिंदु अपने माता–पिता से घृणा करती है। साथ ही अन्य सदस्यों का रवैया भी उसके प्रति उपेक्षापूर्ण था। परंतु बिंदु अपने सगे पिता के प्रति लगाव रखती है।

4. समस्या का विवरण :

बिंदु के सगे पिता शारीरिक रूप से अक्षम थे और मां अपने व्यक्तिगत जीवन में ही व्यस्त थी। दोनों ने कभी भी बालिका की परवरिश ठीक से नहीं की इसलिए बिंदु

उपेक्षा की शिकार हुई तथा घर के कलहपूर्ण माहौल से तंग आकर बिंदु और उसकी छोटी बहन उसमा घर से भाग गई। भागकर ट्रेन द्वारा बंबई पहुंच गई वहॉ एक औरत मिली जिसने प्यार मोहब्बत का दिखावा किया अपने घर ले गई तथा काम करवाने लगी। परंतु वह खाने से ज्यादा मारती–पीटती व काम करवाती थी। अतः वहॉ से भागकर दोनों बहनें ट्रेन से इटारसी पहुंची वहां पुलिस द्वारा पकडकर बैतुल किशोर कल्याण बोर्ड पहुंचा दी गयी जिसके बाद आदेशानुसार बिंदु व उसकी बहन उस्मा को किशोर बालिका गृह भोपाल भेज दिया गया। दिनांक 10.02.2002 को 12 वर्ष की अवस्था में बिंदु को संस्था में भेजा गया।

5. विद्यालयीन विवरण :

बिंदु वर्तमान में कक्षा आठवी की छात्रा है जो कि सतगुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर में अध्ययनरत है। बिंदु ने कक्षा छठवी की परीक्षा (2003–2004) 58. 60 प्रतिशत से तथा कक्षा सातवी की परीक्षा (2004–2005) 51.33 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की। परीक्षा के शिक्षकों के अनुसार बिंदु किसी कक्षा में उत्तीण। नहीं हुई।

बिंदु के अनुसार उसका रूचिकर विषय अंग्रेजी एवं अरूचिकर विषय विज्ञान है। बिंदु कहती है कि उसे पढ़ाई के अलावा नृत्य, गायन एवं पेंटिग करना बहुत अच्छा लगता है। बिंदु के अध्यापकों एवं अन्य सहपाठियों से संबंध मधुर है।

6. बिंदु की छोटी बहन और मां के बिंदु के बारे में विचार :

बिंदु की छोटी बहन उस्मा के अनुसार बिंदु ने घर से भागकर कोई गलत काम नहीं किया। क्योकि मम्मी–पापा या तो खुद आपस में लड़ते थे या फिर हमें मारा करते। बिंदु की मां सबीरा जो कभी– कभी दोनों बेटियों से मिलने संस्था में आती हैं। उनके अनुसार उन्होने कभी ऐसा नहीं चाहा कि लड़कियां घर छोड़कर भाग जाए परंतु वे यह भी कहती हैं कि शायद पिता की विकलांगता और मेरे द्वारा ध्यान न देने के कारण उन्होने स्वयं को उपेक्षित समझा तथा घर से भाग गई। घर ले जाने की बात पर वह कहती हैं कि मेरे खाने–पीने और रहने के लाले पडे हैं कम से कम संस्था में सुरक्षित हैं।

7. मनो वैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तिगत प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बिंदु काल्पनिक अस्तित्व और नाटक पसंद करती है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने वाली कूटनीतिज्ञ और विनम्र है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा बालिका की अत्यधिक रूचि का क्षेत्र समाज सेवा है एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र कला है।
3. समायोजन परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि बिंदुकी समायोजन क्षमता तीनों स्तर पर मध्यम है।
4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बिंदु की बुद्धिलब्धि सामान्य से ऊपर है।

8. बिंदु के बारे में संस्था के कर्मचारियों तथा बालिकाओं के विचार :

बिंदु को संस्था की लड़कियां बहतु मानती है। संस्था के सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों का मानना है कि बिंदु बचपन से ही ऐशो आराम की शौकीन है। तथा थोड़ा सा भी कष्ट नही सह सकती। वैसे वह संस्था में सभी का कहना सुनती है तथा अपने से छोटों का ख्याल रखती है। संस्था में बिंदु को सौपे गए सभी कार्य वह पूरी लगन से करती है।

9. बालिका का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

बिंदु सिर्फ इतना कहती है कि आज मैं जैसी भी हूं और जिस हाल में हूं उसके लिए मेरे माता–पिता ही दोषी हैं तथा मैं अब उस कलहपूर्ण वातावरण जिसे आप घर कह रही हैं उसमें वापस नहीं जाना चाहती। मैं सब कुछ भूल सकती हूं लेकिन अपनी मां के चरित्र और व्यवहार से दुःखी हूं।

10. अनुसंधान कर्ता का अवलोकन एवं विश्लेषण :

बिंदु एक सही पथ से भटकी हुई लड़की है। पिता की असमर्थता तथा मां के चरित्र के कारण तथा सही मार्गदर्शन न होने से वह घर छोड़ने पर मजबूर हुई। अब

बिंदु को घर लौटने की इच्छा नही है। परंतु वो अपनी छोटी बहन को मां–पिता के पास भेजना चाहती है। बिंदु बातचीत में तेज है। बचपन में छोटी–मोटी चोरी घर में व पास पड़ौस में करने की बात कहती है। उसके अनुसार इसमें उसे मजा आता था। पढ़ने लिखने में तेज है। स्वयं भविष्य में पढ़ लिखकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है।

11. निष्कर्ष :

उपरोक्त जानकारियों के विश्लेषण के बाद निम्नलिखित कारक बिंदु की उपेक्षित दशा के लिए उत्तरदायी माने जा रहे हैं :–

1. बचपन में समुचित देखभाल की कमी।
2. पिता की असमर्थता, मां का चरित्र और मार्गदर्शन की कमी।
3. आर्थिक रूप से माता–पिता की असमर्थता।
4. घर के आसपास का वातावरण दूषित होना।
5. ऐशो आराम की लत।

12. समस्या सुधार हेतु सुझाव :

बिंदु संस्था में रहकर खुश है। बिंदु एक उपेक्षित बालिका है जिसकी एक सौतेली मां एवं दो पिता है। परिवार टूट कर बिखर चुका है। बिंदु पढ़ना लिखना चाहती है। इसलिए उसे इसी में संस्था और विद्यालयीन परिवेश से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिससे वो परिवार की कमी न महसूस करे और आत्मनिर्भर बन सके।

यक्तिगत अध्ययन – 5

1. सामान्य जानकारी :

कुमारी रश्मि उर्फ रानी सियरमऊ जिला, रायसेन, मध्यप्रदेश की रहने वाली है, जिसकी उम्र 13 वर्ष है। कक्षा सातवी में पढ़ रही है। वर्तमान में किशोर बालिका गृह भोपाल में रह रही है।

2. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

संस्था में आने वाले डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार रश्मि पूर्णरूपेण स्वस्य है। रश्मि 4 फीट 3 इंच की 32 किलाग्राम वजन की दुबली–पतली लड़की है। रश्मि का रंग साफ है तथा सामान्य तौर पर शांत दिखती है।

3. पारिवारिक विवरण :

रश्मि के पिता श्री टेलरबाबू सिलाई का काम करते हैं। रश्मि की मां निर्मला गृहणी है। रश्मि हिंदू धर्म की महाराष्ट्रीयन लड़की है। पिता ने दूसरी शादी कर ली है रश्मि अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती थी। रश्मि ने अपने पिता को कभी नहीं देखा सिर्फ मां से उनके बारे में सुना है। फिर भी पापा से लगाव है, बालिका गांव के पास दूसरे गांव में चौथी कक्षा में पढ़ने जाती थी।

4. समस्या की जानकारी :

रश्मि अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाती थी। एक दिन रश्मि को रास्ते में एक आदमी मिला जो उसे पापा के पास ले जाने का बोलकर कलकत्ता ले गया उस समय रश्मि की आयु 9 वर्ष थी। वह व्यक्ति रश्मि से भीख मँगवाने का कार्य करवाने लगा। एक दिन वह व्यक्ति रश्मि को स्टेशन पर सोता हुआ छोडकर कहीं चला गया। वहां से फिर एक और मोड रश्मि की जिंदगी में आया और रश्मि के साथ भीख मांगने से भी ज्यादा बुरा घटित हुआ एक अन्य व्यक्ति वहां से रश्मि को अपने साथ ट्रेन द्वारा भिलाई ले गया वहां उसे अपने साथ पिक्चर दिखाई, खाना खिलाया एवं एक सुनसान रास्ते पर

ले गया वहां झाड़ी के पीछे ले जाकर उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया और उसके साथ दुष्कृत्य किया।

इसके बाद 2 महीने तक रश्मि भिलाई अस्पताल में भर्ती रही वहां उसका इलाज किया गया और उसे पुलिस संरक्षण में रखा गया। पुलिस के माध्यम से किशोर बोर्ड दुर्ग भेजा गया। न्यायालय के माध्यम से धारा 15 (2) के अधिनियम के तहत बाल संप्रेक्षण गृह शहडोल भेजा गया। वहां लगभग एक साल रहने के पश्चात किशोर कल्याण बोर्ड भोपाल भेजा गया, जिसके माध्यम से बालिका किशोर बालिका गृह में आई।

5. विशेष रूचि के विषय :

रश्मि की विशेष रूचि अंग्रेजी में है। रिश्म को पेंटिग करने में भी बड़ा आनंद आता है। उसकी बनाई पेंटिग किशोर बालिका गृह में भी सज्जित है।

6. किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों और अन्य बालिकाओं की राय :

परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती इक्का मेडम रश्मि को शांत स्वभाव की अनुशासनप्रिय बालिका मानती है। सभी कर्मचारियों का कहना मानती है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं, जब कोई गलती करे इसलिए उसे प्यार करती है।

7. मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा ज्ञात हुआ कि रश्मि प्रायःशांत रहने वाली लड़की है। वह सामाजिक एवं भावुक है, शारीरिक और मानसिक रूप से तेज है किंतु जरा सी भी हलचल से परेशान हो जाती है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र कला एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र समाजसेवा है।
3. समायोजन परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि रश्मि का समायोजन मध्यम है।
4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि सामान्य पाई गई है।

किशोर बालिका गृह में रश्मि को सौपे गए सभी कार्य वह पूर्ण लगन से करती है

8. रश्मि का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

रश्मि बताती है कि उसकी जरा सी भूल ने उसे कैसे–कैसे बुरे दिन दिखाए। रश्मि के अनुसार उसे अपनी मां की याद आज भी आती हैं पिता से मिलने की तीव्र

इच्छा ने उसक यहां तक पहुंचा दिया। वह कहती है उसने कलकत्ता में भीख मांगी और दूसरे व्यक्ति ने उसे चाकू मारा जिससे वह बेहोश हो गई उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अस्पताल में ही होश आया। वह अपने घर जाना चाहती है परंतु सही पता ज्ञात नहीं है।

9. अनुसंधानकर्ता द्वारा सामान्य अवलोकन एवं विश्लेषण :

अनुसंधानकर्ता के स्वयं अवलोकन के आधार पर कहा जा सकता है कि रश्मि एक शांत और लड़की हैं जो कि किसी व्यक्ति के बहलाने फुसलाने पर घर से बाहर आ गई जिससे कि वो रास्ता भटक गई। क्योकि उस समय उसकी उम्र काफी कम थी। संस्था में भी अनुशासन से रहती है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। चूंकि रश्मि पर प्राणघतक हमला हुआ। अतः वो बेहोश हो गई इसलिए इसके बाद उसके साथ हुए दुष्कृत्य की जानकारी उसे नही है।

10. रश्मि का सबल पक्ष तथा दुर्बल पक्ष :

सबल पक्ष : दृढ़ निश्चय, कठिन मेहनत

दुर्बल पक्ष : डर

यह पूछे जाने पर कि भविष्य में क्या बनना चाहती हो रश्मि बताती है कि भविष्य में पूरी डाक्टर बनना चाहती है।

11. निष्कर्ष :

अनेक स्त्रोतों द्वारा प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि रश्मि जब अबोध थी तभी उसे अनजान व्यक्ति द्वारा बहला–फुसलाकर घर से दूर ले जाकर भीख मंगवाई। एक अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर प्राणघातक हमला कर दुष्कृत्य किया गया। इस प्रकार उसका बचपन छीनकर उसे घर से दूर कर दिया।

12. समस्या सुधार हेतु सुझाव :

रश्मि को अपने साथ घटित दुष्कृत्य का ज्ञान नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि उसे इस बारे में न बताया जाए अपितु उसे अनभिज्ञ ही रहने दिया जाए। उसे घर से लगाव है अतः पुनः एक बार अखबार में विज्ञापन देकर उसके घर का पता लगाया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत अध्ययन – 6

1. **सामान्य जानकारी :**

कुमारी संतोषी ग्राम हरदी, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ (पूर्व में मध्यप्रदेश) की रहने वाली है जिसे अपने गांव का नाम नहीं मालूम। संतोषी की उम्र 15 वर्ष है जो कि वर्तमान में किशोर बालिका गृह नेहरू नगर, भोपाल मध्यप्रदेश में रह रही है।

2. **परिवारिक विवरण :**

संतोषी के पिता का नाम श्री श्यामदास है जो कि हिंदु धर्म के हैं। ये पहले खेती का काम करते थे। परंतु संतोषी के अनुसार बाद में गाड़ी बनाने का काम करने लगे। पिता की शिक्षा के बारे में संतोषी को कुछ मालूम नहीं है। किंतु घर का स्तर निम्न है। संतोषी कहती है कि सगी मां का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया तब पिता ने दूसरी शादी कर ली जो कि एक नेपाली महिला है वो घर में स्वेटर बुनकर बेचती है। संतोषी के 2 सगे भाई–बहन एवं 3 सौतेली बहने हैं, संतोषी के संबंध अपने पिता व सौतेली मां से तनावपूर्ण थे।

3. **समस्या का विवरण :**

सौतेली मां संतोषी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित करती थी। उसने संतोषी को एक व्यक्ति के घर काम पर लगा दिया। मजदूरी भी मां रख लेती और खाने–पीने को भी ठीक से नही देती थी। ऐसे में ही एक दिन उस व्यक्ति ने जिसके घर संतोषी को रस्सी से बांधकर बहुत मारा तब बालिका घर से भाग गई। ट्रेन में बैठकर बंबई पहुंच गई। वहां स्टेशन पर एक महिला पुलिस ने पकड़कर संतोषी की बोली को सुनकर उसे छत्तीसगढ़ के थाने में पहुंचा दिया। वहां से उसे शहडोल की संस्था भेजा गया। और कुछ महीने बाद ही किशोर कल्याण बोर्ड भोपाल के माध्यम से किशोर बालिका गृह भोपाल भेजा गया। दिनांक 27/12/2000 से धारा 15 (2) के तहत इस संस्था में संतोषी है।

4. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

संतोषी 4 फीट 10 इंच की 35 किलोग्राम वजन की सामान्य कद काठी की लडकी है। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार संतोषी को कोई स्वास्थ्य समस्या नही है। उसकी भम्रण, दृष्टि, वाक् क्षमता सामान्य है।

5. विद्यालयीन विवरण :

संतोषी वर्ममान में सतगुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर में कक्षा आठवी में अध्ययनरत है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। संतोषी का रूचिकर विषय संस्कृत एवं अरूचिकर विषय गणित है।

संतोषी के बारे में उसके विद्यालयीन शिक्षक कहते हैं कि संतोषी पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे संगीत, नृत्य एवं खेलकूद में भाग लेती है। संतोषी की विशेष रूचि सिलाई में है जिसे संस्था में रहकर सीख रही है।

6. मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तिगत प्रश्नावली के विश्लेषण से ज्ञात होता है संतोषी अपने भाव को नैतिकता का शिक्षक मानती है, कुटनीतिज्ञ है, विनम्र है, दूसरों का कहना भी मानती है। समूह में रहती है। फैशनपरस्त है।
2. किशोर रूचि परीक्षण द्वारा बालिका का अत्यधिक रूचि का क्षेत्र समाज सेवा एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र साहित्य है।
3. समायोजन परीक्षण से ज्ञात होता है कि संतोषी का स्वतः, समूह और कुल समायोजन उच्च है।
4. बुद्धि परीक्षण बालिका की बुद्धिलब्धि सामान्य है।

7. किशोर बालिका गृह में बालिका द्वारा किये जाने वाले कार्यकलाप :

संतोषी संस्था में खाना बनाना, बर्तन जमाना, सफाई करना, पानी भरना इत्यादि का काम सप्ताह में एक एक दिन करती है। इसके अलावा सुबह शाम प्रार्थना करना, योग करना, पढ़ाई करना अन्य क्रियाकलाप है। संतोषी की जिम्मेदारी पर एक छोटी लड़की को भी संस्था में रखा जाता है। उसके सारे कार्य का ध्यान संतोषी द्वारा रखा जाता है।

8. **विशेष कार्य :**

संतोषी सिलाई में इतनी निपुण है कि संस्था की अन्य लडकियों के कपड़े सिलकर देती है।

9. **बालिका का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :**

संतोषी ने बताया कि सगी मॉ को उसने देखा नहीं और सौतेली मॉ ने उसे हमेशा

8. **विशेष कार्य :**

संतोषी सिलाई में इतनी निपुण है कि संस्था की अन्य लडकियों के कपड़े सिलकर देती है।

9. **बालिका का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :**

संतोषी ने बताया कि सगी मॉ को उसने देखा नहीं और सौतेली मॉ ने उसे हमेशा परेशान किया। मॉ का प्यार क्या होता है ? यह जानती ही नहीं। पिता ने भी काफी उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया इसलिए पिता से भी नफरत है। वह कहती है कि दोनें ने इतना परेशान किया कि वह तीन दिन तक भूखी प्यासी रही। केवल वह अपनी बड़ी बहन अनिता से प्यार करती है। जिसकी शादी हो गई है। संतोषी खुद ही कहती है कि घर वापस जाकर क्या करूंगी ? यहीं अच्छा लगता है।

10. **संतोषी की बड़ी बहन के विचार :**

संतोषी की बडी बहन अनिता जो कि विदिशा में रहती है अनिता संस्था में संतोषी से मिलने आया करती है का कहना है कि संतोषी जब छोटी थी बहुत सीधी सादी थी, पढ़ने में भी तेज थी। परंतु सौतेली माँ और पिता से उपेक्षित रही, माता पिता छोटी–छोटी बातो मे झगड़ा करते रहते थे। इन सब बातों के कारण संतोषी सही मार्ग से विचलित हो गई। घर में प्यार स्नेह की कमी के कारण वह घर से भागी है।

11. **संस्था के कर्मचारियों एवं अन्य बालिकाओं के विचार :**

संस्था किशोर बालिका गृह की परिवीक्षा अधिकारी श्रीमति अंतोनिया इक्का मैडम के अनुसार माता पिता ने संतोषी का जिस लगाव तथा स्नेह की जरूरत थी उसे नही दिया तथा प्रांरभिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की । संतोषी के बारे में अन्य कर्मचारी कहते है कि संतोषी बडों की आज्ञा मानती है पर कभी कभी कामचोरी भी करती है।

12. **अनुसंधानकर्त्ता का अवलोकन और विश्लेषण :**

पारिवारिक सामंजस्य तथा आत्मीयता रहित वातावरण के कारण संतोषी में मानवीय पक्ष और सामाजिक पक्ष विकसित नहीं हो पाये थे जो अब संस्था में रहकर विकसित हो रहे है। माता पिता की लापरवाही के कारण संतोषी के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया जिसके कारण वह किसी पारिवारिक सदस्य पर विश्वास न करके बाहरी दुनिया में निकल आई। अभी भी इसके माता पिता इससे मिलने किशोर बालिका गृह नहीं आते है। संतोषी के मन में न तो पिता के लिए अपनत्व हैं और न ही माता के लिए समर्पण। इसके विपरीत संतोषी संस्था को ही अपना मंदिर और मैडम इक्का को अपने मंदिर की मूर्ति मानती है।

13. निष्कर्ष :

पारिवारिक अस्थिरता तथा कलह की बलि चढी संतोषी अपने घर परिवार से काफी दूर निकल आई है। इसके पीछे उत्तरदायी कारण निम्न है :–

1. माता पिता की आपसी कलह तथा सौतेली मॉ के अत्याचार।
2. माता पिता से अपनापन और उचित प्रेम का न मिल पाना।
3. अबोध बच्चों को उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति।
4. संतोषी की किशोरावस्था।

परिवार तो परिवारजनों से मिलकर बनता है किंतु जब उस परिवार में संतोषी के लिए कोई जगह नहीं तो संतोषी भी वहां नही जाना चाहती । यह कहा जा सकता है कि संतोषी आज परिवारजनों के होते हुए भी एक वंचित जीवन व्यतीत कर रही है।

14. समस्या सुधार हेतु सुझाव

संतोषी की संस्था में ही रहने की इच्छा है। अतः उसे संस्था में प्यार भरे माहौल में रखकर उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करना चाहिए। सिलाई में और एडवांस प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत अध्ययन – 07

1. **सामान्य जानकारी :–**

आनंदी खरगौन मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी आयु 15 वर्ष है और जो वर्तमान में किशोर बालिका गृह, भोपाल में रह रही है।

2. **समस्या की जानकारी :**

आनंदी की मॉ की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। आनंदी और उसका भाई कचरा बीनने का काम करते थे। सौतेली मॉ मजदूरी के पैसे ले लेती थी और बहुत मारती पीटती थी। सौतेली मॉ केवल घर का काम करती थी। ए कदिन मॉ ने उसे पकडकर एक पडौसी के साथ मिलकर रस्सी से बांध दिया और खूब मारा मौका पाकर आनंदी रस्सी तोडकर भाग निकली और ट्रेन में बैठकर इंदौर पहुंच गई। उस समय आनंदी की आयु 11 वर्ष की थी वहां पुलिस ने उसे पकडकर बाल संरक्षण आश्रम गृह इंदौर भेज दिया। लगभग दो वर्ष वहां रहने के बाद किशोर कल्याण बोर्ड के आदेशानुसार धारा 15 (2) के तहत बालिका को किशोर बालिका गृह भोपाल भेजा गया। इस संस्था में आने के एक साल बाद भी आनंदी और उसकी एक सहेली संस्था छोड़कर भाग गई थी कितु भोपाल रेल्वे स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वापस संस्था भेज दिया।

3. **पारिवारिक जानकारी :**

बालिका आनंदी के पिता का नाम शंकर है। पिता ट्रक गैरिज में काम करते हैं उनकी शिक्षा और उनकी आय बालिका को ज्ञात नही है। मां का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। पिता ने शारदा नाम की दूसरी महिला से विवाह कर लिया। आनंदी का एक सगा भाई है और आठ सौतेली बहनें हैं। शारदा घर पर ही रहकर घर का कामकाज करती है।

आनंदी के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं क्योकि दूसरी शादी कर लेने के पश्चात उनका व्यवहार काफी उपेक्षापूर्ण हो गया। मां से संबंध कलहपूर्ण है क्योकि मां बहुत मारती–पीटती थी व ठीक से खाना तक नहीं देती थी। माता–पिता के आपसी

संबंध भी कलहपूर्ण है अन्य रिश्तेदारों के साथ बालिका का कोई संबंध नही है और न ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कोई संबंध है। हम उम्र लोगों के साथ बालिका झगड़ा करती है।

4. स्वास्थ्य जानकारी :

आनंदी की ऊंचाई 4 फीट 7 इंच है वजन 35 किलोग्राम है। बालिका की डॉक्टरी रिपोर्ट देखने पर ज्ञात हुआ कि बालिका पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है।आनंदी की श्रवण, दृष्टि व वाक् क्षमता सामान्य है।

5. विद्यालयीन विवरण :–

वर्तमान में आनंदी कक्षा आठवी में अध्ययनरत है। आनंदी का रूचिकर विषय भूगोल है और अरूचिकर विषय अंग्रेजी है। बालिका किसी भी पाठ्य सहगाी क्रिया में भाग नहीं लेती है। अध्यापकों से संबंध अच्छे है परंतु सहपाठियों से अवश्य झगड़ा करती है।

6. किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों और अन्य बालिकाओं के साथ व्यवहार संबंधी जानकारी :–

संस्था में आनंदी एक चंचल उदास रहने वाली, साहसी, स्थिरचित्त, आज्ञाकारी एवं आत्मविवासी लड़की है जो कि वास्तविकता को समझती है। परंतु इसके अलावा आनंदी एक स्वार्थी एवं ध्वंसात्मक प्रवृत्ति की लड़की है जिसके अंदर बदला लेने की भावना भी है।

किशोर गृह में रहने वाली अन्य बालिकाओं के साथ आनंदी काफी झगड़ा मारपीट इत्यादि करती है और उन पर काफी आरोप लगाती है। स्टॉफ के सदस्यों में भी अधिकारियों के डर से उनका कहना मानती है बालिका का कथन है कि उसे स्टॉफ के सदस्यों का कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिलता बल्कि उसे बहुत डॉट व मार पडती है इसलिए उसे संस्था में रहना अच्छा नही लगता। गलती करने पर बालिका को दण्ड भी मिलता है। संस्था में कोई पसंद नही करता।

7. **योग्यता मूल्यांकन :**

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि आनंदी अत्यधिक बुद्धिमान है उसमें नेतृत्व के गुण हैं वो उच्च स्वाभिमानी है संवेगात्मक रूप से परिपक्व है किंतु चिंतित रहती है और जरा सी हलचल से परेशान हो जाती है।

2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र समाज सेवा एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र कला है।

3. समायोजन परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि बालिका को परामर्श देने की अवाश्यकता हैं।समायोजन अति कम है।

4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बालिका की बुद्धिल्धि को सामान्य से नीचे के वर्ग में रखा जा सकता है।

8. **किशोर बालिका गृह में बालिका द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यकलाप :**

सप्ताह में एक दिन खाना बनाना, साफ सफाई, बर्तन जमाना, पानी भरना, खाना परोसना इत्यादि का कार्य आनंदी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रोज सुबह शाम प्रार्थना , शाम को योग, पढाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त करना इत्यादि कार्य बालिका द्वारा नित्य किये जाते है।

9. **बालिका का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :–**

आनंदी का कथन है कि उसे अपनी सगी मॉ के संबंध में कोई जानकारी नही है सौतेली मॉ उसे बहुत सताती थी। भरपेट खाना नहीं देती थी ओर यदि थोडा कमाने के बाद भी घर पर भरपेट खाना और अच्छा व्यवहार न मिले तो वहॉ रहना बेकार है यह सोचकर घर से भाग गई।

10. **सामान्य अवलोकन :**

आनंदी को वार्तालाप करने पर यह देखागया कि वो निःसंकोच प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं उसके कथन है कि घर से तो अत्याचारों से तंग आकर भागी परंतु संस्था में आने

के बाद भी उसे यहॉ अच्छा नहीं लगता डर के मारे वो नियमों का पालन करती है और यहॉ रहकर पढना जरूरी है इसलिए पढ़ाई करती है अन्यथा पढ़ाई–लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। घर की याद नहीं आती और न ही घर वापस उस माहौल में जाना चाहती है। केवल अपनी नानी को बहुत प्यार करती है किंतु उसका पता ज्ञात नहीं हे। अतः पता मिल जाने पर नानी के यहॉ जाना चाहती है। उसका कहना है कि वो झूठ भी बोलती है और एक दूसरे की शिकायत भी करती है एक दो लड़कियों को छोडकर किसी से मित्रता नहीं है।

11. निष्कर्ष :

आनंदी परिवार में सौतेली मॉ के अत्याचारो से तंग आकर घर से भाग गई और संस्था में आने के बाद भी एक लडकी के साथ भाग गई थी अतः यही कहा जा सकता है कि बालिका आलसी व कामचोर प्रवृत्ति की है जो कि इतनी उच्चश्रंखल है कि वो किसी की हुकुमत बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बालिका इतनी स्वच्छंद है कि वो केवल अपनी मनमानी करना चाहती है भागने की प्रवृत्ति के साथ–साथ बहुत झगडालू है। घर के सदस्यों के उपेक्षापूर्ण रवैये व व्यवहार से तंग आकर वो एक कठोर दिल लडकी हो गई। कामकाज में भी आलसी प्रवृत्ति की है। पढ़ाई में बहुत कमजोर है एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ है अपनी नानी क पास जाने की इच्छा रखती है।

12. समस्या सुधार हेतु उपाय व सुझाव :

आनंदी की समस्या को देखने पर यही कहा जा सकता है कि आनंदी में भागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है अतः उसे मार या डांट के बजाए प्यार से समझाना चाहिए ताकि वो एक अच्छी लडकी बन सके और उसका संस्था में रहकर मन लग सके। उसे प्यार से ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि उसके रूख दूसरी तरफ से हटाकर पढ़ाई लिखाई व अन्य कार्यो में लगाया जा सके। सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण और पढ़ाई लिखाई में अलग से विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उसमे कमजोर न रहे।

व्यक्तिगत अध्ययन – 8

1. **सामान्य जानकारी :**

नूरबानों उर्फ रजिया संजय नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है जिसकी उम्र 15 वर्ष है। वर्तमान में किशोर बालिका गृह में रह रही है। नूरबानों को स्किल एनीमिया है अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से नूर स्वस्थ नही है।

2. **पारिवारिक विवरण :**

नूर के पिता का नाम श्री अब्दुल रशीद खान उर्फ श्री जयसिंह ठाकुर है जो कि हम्माल है माता का नाम फरनाज़ बी है जिनकां स्वर्गवास हो गया है इस बारे में बालिका ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। बालिका ने अपनी सगी मॉ को कभी नही देखा। सौतेली मॉ फरद घर का कार्य करती है। पिता अनपढ़ है और उनकी आमदानी इतनी है कि घर का खर्च चल जाता था यानि नूर के परिवार को हम निम्न स्तर के परिवार में रख सकते हैं। नूर की एक सगी बहन है। नूर के पिता व सौतेली मॉ से संबधं कटुतापूर्ण है।

3. **समस्या की जानकारी :**

नूर कहती है कि सौतेली मॉ और पिता दोनों छोटी–छोटी बातों के लिए बहुत मारते थे। सन् 1999 में नूर से एक बार कॉच की फोटो टूटने से पिता ने उसे बहुत मारा इसलिए उसने घर छोड दिया। एक व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने का झांसादेकर रायपुर से बंबंई ले गया एवं रेल्वे स्टेशन पर पुलिस के डर से अकेला छोड दिया।

बंबई पुलिस ने उपेक्षित हालत में नूरबानों को पकडा और उसका प्रकरण किशोर कल्याण बोर्ड, उमरखेडी भेज दिया गया। तब एक साल तक उसे बाल संप्रक्षेण गृह शहडोल में रखा गया। उसके बाद प्रकरण की परिस्थितियों एवं बालिका के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उसे जनवरी 2001 में 11 वर्ष की अवस्था मं किशोर बालिका गृह भोपाल में धारा 15(2) के तहत भेजा गया।

4. **स्वास्थ्य संबंधी विवरण :**

नूर 5 फीट 1 इंच लंबी एवं 40 किलोग्राम वजन की सामान्य कद काठी की लडकी है। नूर की श्रवण, वाक्, दृष्टि क्षमता सामान्य है। नूर को फरवरी 2004 में डॉक्टर ने ''स्किल सेल्स एनीमिया'' नामक बीमारी बताई जिसमें बार–बार खून देने की आवश्यकता होती है।

5. **विद्यालयीन विवरण :**

नूर के संबंध में उसके स्कूल सत्गुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बताते है कि नूर पढ़ाई में एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अव्वल है। वर्ष 2004–05 में नूर अपनी बीमारी के कारण कमजोर हो गई थी। इसलिए कोई परीक्षा नहीं दे पाई। इससे पूर्व 2003–04 में कक्षा छठवी की परीक्षा 71: प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की थी। वर्तमान में कक्षा सातवी में अध्ययनरत है।

नूर का रूचिकर विषय अंग्रेजी एवं अरूचिकर विषय गणित है। नूर की विशेषरूचिक खेलकूद और संगीत में है। हालांकि नूर में नेतृत्व क्षमता नहीं है।

6. **विशेष उपलब्धि :**

नूर की विशेष उपलब्धि है ब्रज संगीत विद्यापीठ मथुरा द्वारा आयोजित गायन परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करना।

7. **मनोंवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :**

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली के विश्लेषण से नूर के बारे में ज्ञात हुआ कि वह अत्यधिक जिंदादिल, भावुक एवं सामाजिक है साथ ही कठोर, व्यावहारिक और परिपक्व भी है। नूर गैर–जिम्मेदार प्रकृति की है। मित्र बहुत कम है नर्वस टाइप की है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र कला एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र साहित्य है।
3. नूर का स्वतः समूह और कुल समायोजन क्रमश : कम, मध्यम और कम है।

4. बुद्धि परीक्षण द्वारा नूर को सामान्य वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है।

8. नूर का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

नूर का कहना है कि उसके घर का वातावरण अच्छा नही है माता–पिता छोटी–छोटी गल्तियों के लिए मारते पीटते थे इसलिए मेरा घर छोडना ही ठीक था।

9. अनुसधानकर्त्ता का अवलोकन और विश्लेषण :

नूर ने किशोर कल्याण बोर्ड रायपुर और किशोर कल्याण बोर्ड भोपाल को अलग–अलग बयान दिये है। नूर अपने बारे में काफी कुछ छिपाती है। एक जगह बताया नूर पढ़ लिखकर पुलिस की नौकरी करना चाहती है।

10. निष्कर्ष :

नूर में बचपना बहुत है क्योंकि माता–पिता की डॉट मार को उसने दिल पे लिया और घर छोड दिया। नूर का स्वास्थ्य भी ठीक नही है इसलिए उसे समझा कर घर भेजना चाहिए।

11. समस्या सुधार हेतु उपाय :

चूंकि नूर अपने बारे में सही जानकारी नहीं देती इसलिए संस्था द्वारा अथक प्रयास करने पर भी उसे घर नहीं भेजा जा सका। बालिका को अच्छा वातावरण देकर नैतिक शिक्षा के आधार पर उसकी मानसिकता में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसे परिवार में पुर्नवासित किया जाना जरूरी है। परंतु जब तक वो संस्था में है तब तक पढ़ाई के साथ–साथ उसके संगीत की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत अध्ययन – 09

1. **सामान्य जानकारी :**

कुमारी रानू उर्फ राजी 15 तिलक वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश की रहने वाली है जिसकी उम्र 14 वर्ष है एवं जो वर्तमान में किशोर बालिका गृह भोपाल में रह रही है।

2. **समस्या की जानकारी :**

रानू की मां की मृत्यु बचपन में हो गई। उसके बाद पिता ने अपने पास न रखकर मामा के यहां सतना भेज दिया। मामा के यहां रहकर बालिका छात्रावास में रहती थी एंव पढ़ती थी पिता रूपये भेजते थे। मामा मामी कभी–कभी मिलने छात्रावास जाया करते थे। एक दिन मामा घर पर नहीं थे मामी स्कूल से रानू को घर लेकर आई औरएक सूटकेस और रूपये देकर रेलगाडी में बिठा दिया और डराया धमकाया। बालिका ट्रेन में बैठकर बम्बई पहुंच गई। ट्रेन में एक पंजाबी महिला मिली थी जिसके यहां मुम्बई में कुछ महीने घर का काम काज किया। वहां से बालिका भाग गई और दिल्ली पहुंच गईं। वहां से पुलिस ने पकड़कर न्यायालय भेज दिया। न्यायालय के माध्यम से संप्रेक्षण गृह विदिशा भेजा गया वहां से भी बालिका एक बार भागी तो पकड़ ली गई इसके उपरांत किशोर बालिका गृह भोपाल में वर्ष 2001 में 23.2.2001 को किशोर कल्याण बोर्ड के आदेश पर भेजा गया।

2. **परिवारिक जानकारी :**

रानू के पिता का नाम ओंकारनाथ है जो कि हिंदु हैं जोकि मुंबई पुलिस में है। ऐसा बालिका द्वारा बताया गया हालांकि बालिका ने अपने पिता को कभी देखा नहीं केवल उनके बारे में सुना है। पिता की शिक्षा व आय के बारे में कोई जानकारी नहीं है हालांकि परिवार का रहन सहन स्तर उच्च है मां का देहांत हो गया। इसलिए पिता ने मामा के पास रहने भेज दिया । बचपन से मामी ने पाला। रानू के कोई भाई–बहन नहीं है, वो अपने माता–पिता की इकलौती संतान है।

चूंकि पिता को बचपन से नहीं देखा और मॉ का बचपन से ही स्वर्गवास हो गया अतः पिता से कोई संबंध ही नहीं है अतः बालिका को केवल सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करना पड़ता है। अन्य सदस्यों व रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं है। हम उम्र बालिकाओं से झगड़ा करती है।

3. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

रानू 4 फिट 10 इंच की 35 किलोग्राम वजन की लड़की है जोकि पूर्ण रूप से स्वस्थ है जिसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है जिसकी श्रवण, दृष्टि एवं वाक् क्षमता सामान्य है।

4. विद्यालयीन विवरण :

रानू वर्तमान सत्र में कक्षा पांचवी की परीक्षा औपचारिकोत्तर शिक्षा केन्द्र के तहत देगी क्योंकि बालिका वर्ष 2005–2006 सत्र में कक्षा पांचवीं का औपचारिकोत्तर शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर रही है। पिछले वर्ष 2004–2005 में भी बालिका द्वारा कक्षा पांचवी की परीक्षा दी गई थी, पर बालिका उसमें अनुत्तीर्ण हो गई थी इसलिए इस वर्ष फिर पांचवी कक्षा में ही है। रानू को गणित विषय अरूचिकर लगता है। इसके अलावा शेष सभी विषय अच्छे लगते है। बालिका पाठ्य सहगामी क्रियाओं में केवल पेंटिंग इत्यादि में भाग लेती है। बालिका को कलाकृतियां बनाने व पेंटिंग करने में विशेष रूचि है। नेतृत्व क्षमता नहीं है। बालिका अध्यापकों का कहना नहीं मानती है। अन्य सहपाठियों से भी अच्छे संबंध नहीं है वो उनकी शिकायत करती है।

5. किशोर बालिका गृह के स्टॉफ एवं अन्य बालिकाओं के विचार :

संस्था की अन्य बालिकाओं के साथ झगड़ा करती है और मारपीट करती है वैसे बड़ों का आदर करती है उनकी आज्ञा मानती है फिर भी कभी–कभी आदेशों की अवहेलना करती है। बालिका को स्टॉफ के सदस्यों से पूर्व प्रोत्साहन मिलता है। साथ में डांट भी पड़ती है।

6. मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि रानू अत्यंत चिड़चिड़ी और जरा सी भी हलचल से परेशान हो जाती है। साथ ही वो जिंदादिल सामाजिक व भावुक है, आसानी से और जल्दी नाराज हो जाती है, मित्र बहुत कम हैं, शर्मीली है भीड़भाड़ से बहुत घबराती है। बदले की भावना भी रखती है।

2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा रानू का अत्यधिक रूचि का क्षेत्र कला एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र साहित्य एवं समाज सेवा है।

3. समायोजन अनुसूची द्वारा ज्ञात हुआ कि बालिका सभी परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं कर पाती है।

4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि लब्धी उत्कृष्ट पाई गई ।

7. किशोर बालिका गृह में बालिका द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यकलाप :

खाना बनाना, साफ सफाई करना, पानी भरना, बर्तन जमाना इत्यादि कार्य सप्ताह में एक–एक दिन करना। इसके अलावा रोज सुबह शाम प्रार्थना, शाम को योग, अपनी पढ़ाई–लिखाई करना, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि सीखने का काम करना।

8. बालिका का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

रानू का कथन है कि मामी के यहां बचपन से रही। मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। पिता को कभी देखा नहीं इसलिए माँ बाप का प्यार क्या होता है यह कभी महसूस नहीं किया। मामी के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी अतः मामी में बदले की भावना रखती थी। पिता बालिका के पढ़ने लिखने के लिए रूपये भेजते थे। रहन–सहन उच्च स्तर का था। मामी ने पैसा हड़पने के लिए उसे घर से निकाल दिया।

9. सामान्य अवलोकन :

बालिका से बातचीत में पाया कि वो थोड़ा झिझक रही है। अपने पिता के बारे में केवल इतना जानती है कि बंबई पुलिस में हैं। बालिका के कथनानुसार वह स्वयं नहीं भागी बल्कि उसकी मामी ने पैसे व सूटकेस देकर घर से निकाल दिया। परंतु बालिका

की केस हिस्ट्री फाईल का अध्ययन करने पर पाया गया कि बालिका में भागने की प्रवृत्ति है, क्योंकि बंबई में जिस महिला के यहां काम करती थी एवं विदिशा संप्रेक्षण गृह वहां से भागी। बालिका साथ की बालिकाओं से झगड़ा करती है। अपने पिता के पास जाना चाहती है। पिता के होते हुए भी मामी के पास रही, छात्रावास में रहकर पढ़ाई की। हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। पढ़ाई–लिखाई में थोड़ी कमजोर है। पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पेंटिंग व कलाकृतियां बनाने में रूचि रखती है। स्वच्छता पर ध्यान देती है।

10. **निष्कर्ष :**

रानू के उपेक्षित होने के पीछे निम्न कारण है :–

1. माता पिता के प्यार से वंचित।
2. झूठ बोलने की प्रवृत्ति।
3. भागने की प्रवृत्ति।
4. झगडालू प्रवृत्ति।
5. रिश्तेदारों (मामी) से प्राप्त धोखा।

व्यक्तिगत अध्ययन 10

1. सामान्य जानकारी :

14 वर्षीय बबली उर्फ बिल्लो भोपाल टॉकीज, भोपाल मध्यप्रदेश के पास बनी झुग्गी बस्ती की रहने वाली है। बबली ने सरकारी स्कूल से दूसरी कक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। रेल्वे प्लेटफार्म पर लावारिस रूप से घूमते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया। बाद में पुलिस न्यायालय द्वारा किशोर बालिका गृह में भेज दिया गया। बबली शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व सुंदर है।

2. पारिवारिक विवरण :

बबली के पिता श्री मोहनलाल यादव अहीर हैं तथा माता शोभा देवी है। दोनों ही अनपढ़ हैं तथा भीख मांगते हैं। छः भाई बहनों में बबली पांचवे नम्बर की है दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। बबली और उसका छोटा भाई संजू दोनों माता–पिता की तरह भीख मांगते थे। जब कम पैसा लेकर घर जाते तो पिता द्वारा मार खानी पड़ती थी। इस प्रकार बबली का पूरा परिवार भीख मांगकर गुजारा करता था।

3. समस्या का विवरण :

बबली भोपाल में करोंद एरिया की तरफ भीख मांगती थी। कई बार भीख से मिले पैसे दूसरे लोग छीन लेते थे तथा कई बार काफी कम पैसे मिलते थे। जब बबली कम पैसे लेकर आती थी तो उसके पिता उसे मारते थे।

एक दिन वह भी अपने पिताजी को पत्थर से मारकर और मॉ को धक्का देकर घर से भाग गई। इधर–उधर घूमने के बाद भोपाल बस स्टेण्ड में रहकर भीख मांगने लगी। बसों में झाड़ू भी लगाती थी तब उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी।

ऐसे में एक दिन पुलिस ने बबली को पकड़ लिया।

4. घटना/समस्या के बारे में विभिन्न लोगों के विचार :

बबली ने अनुसंधानकर्ताओं को बताया कि वह तीन चार वर्ष की उम्र से भीख मांग रही है। उसका कहना है कि पढ़ाई लिखाई की अच्छाईयों तथा खूबियों के बारे में उसे मालूम ही नहीं था। उसे अपनी पिछली जिंदगी में हुई गलतियों का खूब मलाल और दुख है। वह किशोर बालिका गृह से बाहर नहीं जाना चाहती। अब पढ़ना चाहती है तथा बड़ी होकर एक नेक इंसान बनना चाहती है।

बबली के माता पिता से अनुसंधानकर्ता की मुलाकात नहीं हो पाई जिससे उनके विचार नहीं मिल पाये।

5. किशोर बालिका गृह के बच्चों तथा कर्मचारियों के विचार :

परिवीक्षा अधिकारी के अनुसार बबली का व्यवहार संस्था के कर्मचारियों तथा बच्चों के साथ औसत है। यद्यपि वह हम उम्र लड़कियों की चुगली करती है।

6. विद्यालयीन विवरण :

बबली वर्तमान में कक्षा छठवीं की छात्रा है जिसका रूचिकर विषय गणित एवं अरूचिकर विषय सामाजिक अध्ययन है। नृत्य, खेलकूद आदि क्रियाओं में भाग लेती है।

मुख्य केयर टेकर श्रीमती सरोज निगम और केयर टेकर श्रीमती इंदिरा देशमुख के अनुसार बबली आमतौर पर उनका कहना मान लेती है। परिवीक्षा अधिकारी उसमें हो रहे सुधार से संतुष्ट है।

7. मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :

1. हाइस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि बबली जिंदादिल, सामाजिक भावुक है। बालिका ताकतवर है। सामान्य नैतिक मूल्यों को मानती है एवं आराम पसंद है।

2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा बालिका का अत्याधिक रूचि का क्षेत्र साहित्य है।

3. समायोजन परीक्षण के अनुसार बबली का समायोजन मध्यम है।

4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बबली की बुद्धि सामान्य से उपर है।

8. अनुसंधानकर्ता का अवलोकन एवं विश्लेषण :

बबली ने ऐसे परिवार में जन्म लिया, जिसका पेशा ही भीख मांगना है। भीख मांगने से स्वाभिमान और इज्जत की गरिमा अपने आप ही नष्ट हो जाती है। व्यक्ति में स्वमूल्यांकन की क्षमता क्षीर्ण हो जाती है तथा दुत्कार सहने की आदत पड़ जाती हैं बबली के परिवार का आर्थिक तथा नैतिक दोनों स्तर निम्न है। जिसके चलते बच्चों की परवरिश बिल्कल नहीं हो पाई और इन बच्चों को विरासत के रूप में बचपन से ही भीख मांगने की लत सौगात भरी मिल गई। बालिका की किस्मत अच्छी थी जिसके तहत वह पुलिस द्वारा किशोर बालिका गृह भेज दी गयी। यहां बबली निश्चित रूप से अपनी कड़ी मेहनत तथा दृढ़ लगन से पढ़ाई कर सकेगी।

बबली में धीरे–धीरे स्वामिभान तथा आत्मविश्वास का भाव बढ़ रहा है। किशोर बालिका गृह के अधिकारियों द्वारा बब्ली के माता पिता को कोई खबर नहीं दी गई है।

9. निष्कर्ष :

इस मर्मस्पर्शी अध्ययन से निम्न कारक बबली की स्थिति के लिए उत्तरदायी लगते हैं

1. परिवार का निम्न आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक स्तर।

2. माता–पिता दोनों का भीख मांगने के कार्य में लिप्त होना।

3. परिवार का निम्न शैक्षणिक स्तर ।

4. परिवार द्वारा बच्चों के भविष्य के प्रति लापरवाही।

5. अपरिपक्व अवस्था।

व्यक्तिगत अध्ययन 11

1. सामान्य जानकारी :

13 वर्षीय महक ग्राम सिनवारा, पोस्ट पांचरा काशीराम जिला रायसेन की निवासी हैं महक पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। तथा वर्तमान में किशोर बालिका गृह में रह रही है। महक कक्षा आठवीं की परीक्ष इस वर्ष औपचारिक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से परीक्षा देगी।

2. पारिवारिक विवरण :

महक के पिता श्री मोहम्मद वैजुल आटो चलाते थे जिनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। माता, श्रीमती साजिदा, महिलाओं के लिए कपड़े बेचती है। मॉ ने पिता की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लिया। महक के सौतेले पिता कबाड़ी है और कबाड़ का धंधा करते हैं। महक के तीन सौतेले भाई–बहन है। महक के अपने सौतेले पिता और मॉ से संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि मॉ का रवैया उसके प्रति उपेक्षापूर्ण था। सौतेले पिता भी मारते पीटते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यम है। महक के सौतेले पिता को शराब पीने और जुॅआ खेलने की आदत के कारण परिवार का वातावरण कलह पूर्ण रहता है।

3. समस्या की जानकारी :

परिवार के कलहपूर्ण वातावरण के कारण मॉ साजिदा ने महक को उसे मामा के घर इंद्रा नगर, 12 नंबर बस स्टॉप के पास, भोपाल रहने भेज दिया। मामा मैकेनिक थे और वो महक को अच्छे से रखते थे। पढ़ाते लिखाते भी थे। मामा के दुबई जाने के बाद मामी ने महक से कहा कि तुम्हें जहॉ कहीं जाना हो जाओ और घर से निकाल दिया। मॉ साजिदा ने भी महक को अपने पास रखने से इंकार कर दिया। तब महक ट्रेन में बैठकर इटारसी पहुंच गई वहां उसे व्यक्ति मिला जो इंदौर ले गया। वहॉ 2 महीने रही फिर वहां से निकल गई। उसके बाद महक झाबुआ (धार) थाना क्षेत्र में लावारिस पाई

गई। झाबुआ किशोर कल्याण बोर्ड द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा भेजा गया। वहॉ 2 साल रहने के बाद किशोर बालिका गृह भोपाल में फरवरी 27/2002 में भेजा गया।

4. महके के स्वयं अपने संबंध में विचार :

महके के अनुसार उसके सौतेले पिता ने उसे कभी प्यार नहीं किया और मॉ ने तो बचपन से ही उपेक्षा की। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पास न रखकर मामा के पास भेज दिया। मै उनसे नफरत करती हूॅ।

5. महक की मॉ के विचार :

महक की माता श्रीमती साजिदा का कहना है कि मैं तो अपनी बच्ची का जीवन सुधारना चाहती थी इसलिए अपने पास न रखकर उसे मामा के पास भेज दिया। साजिदा का कहना है कि गलती करने पर हर मॉ–बाप अपने बच्चों को डॉटते तथा मारते हैं। परंतु मेरी गलती यह है कि मैं ऐसे व्यवहार को प्रकट नहीं करती थी, जिससे महक को लगे कि मैं उसे प्यार करती हूॅ। इतना कहने के बाद मॉ साजिदा रोने लगती है।

6. किशोर बालिका गृह के बच्चों और कर्मचारियों के विचार :

किशोर बालिका गृह की सभी बालिकाएं महक के साथ प्रेमभाव से रहती हैं तथा महक भी सबके साथ मिल जुलकर रहती है। वैसे महक ज्यादातर चुपचाप रहती है। बालिका गृह के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का कहना मानती है। सबका कहना है कि महक एक व्यवहार कुशल बालिका है।

गई। झाबुआ किशोर कल्याण बोर्ड द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा भेजा गया। वहॉ 2 साल रहने के बाद किशोर बालिका गृह भोपाल में फरवरी 27/2002 में भेजा गया।

4. महके के स्वयं अपने संबंध में विचार :

महके के अनुसार उसके सौतेले पिता ने उसे कभी प्यार नहीं किया और मॉ ने तो बचपन से ही उपेक्षा की। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पास न रखकर मामा के पास भेज दिया। मै उनसे नफरत करती हूँ।

5. महक की मॉ के विचार :

महक की माता श्रीमती साजिदा का कहना है कि मैं तो अपनी बच्ची का जीवन सुधारना चाहती थी इसलिए अपने पास न रखकर उसे मामा के पास भेज दिया। साजिदा का कहना है कि गलती करने पर हर मॉ–बाप अपने बच्चों को डॉटते तथा मारते हैं। परंतु मेरी गलती यह है कि मैं ऐसे व्यवहार को प्रकट नहीं करती थी, जिससे महक को लगे कि मैं उसे प्यार करती हूँ। इतना कहने के बाद मॉ साजिदा रोने लगती है।

6. किशोर बालिका गृह के बच्चों और कर्मचारियों के विचार :

किशोर बालिका गृह की सभी बालिकाएं महक के साथ प्रेमभाव से रहती हैं तथा महक भी सबके साथ मिल जुलकर रहती है। वैसे महक ज्यादातर चुपचाप रहती है। बालिका गृह के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का कहना मानती है। सबका कहना है कि महक एक व्यवहार कुशल बालिका है।

7. मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :

1. हाइस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि महक कम बुद्धि वाली है समूह में रहना पसंद करती है। रूढ़िवादी है शारीरिक और मानसिक रूप से नर्वस टाईप की है ओर दिवास्वप्नी है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा महक को अत्यधिक रूचि का क्षेत्र कला एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र समाजसेवा हैं
3. समायोजन परीक्षण से महक का समायोजन अतिकम है।
4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि सामान्य से उपर है।

8. अनुसंधानकर्ता का अवलोकन एवं विश्लेषण :

महक की मॉ उससे बेहद प्यार करती है परंतु अपने दूसरे विवाह के कारण संभवतः वह इसका अहसास महक को करवा पाने में असमर्थ रही। जिसके परिणामस्वरूप महक के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया और उस पर सौतेले पिता के व्यवहार ने और बुरा असर डाला। फलस्वरूप महक परिवार के लोगों को हितैषी न मानकर बाहर के लोगों में विश्वास करने लगी और महक के मानसिक डर ने उसे घर से भागने पर मजबूर कर दिया। परिवार वालों के व्यवहार से दुखी है और घर नहीं जाना चाहती। पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है।

9. निष्कर्ष :

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महक के सही रास्ते से भटकने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है :–

1. परिवार का निम्न आर्थिक स्तर।
2. पिता की मृत्यु और सौतेले पिता के अत्याचार।
3. परिवारिक वातावरण का कलहपूर्ण होना।

4. परिवार द्वारा बच्चों के भविष्य के प्रति लापरवाही।

5. अपरिपक्व अवस्था।

6. मॉ और अन्य रिश्तेदारों द्वारा अपने पास रखने से इंकार।

10. समस्या सुधार हेतु सुझाव :

बालिका के पिता सौतेले हैं तथा मॉ व अन्य कोई रिश्तेदार न रखने से इंकार कर दिया। बालिका के हित में अच्छा है कि संस्था में ही रहे। चूंकि महक की रूचि पढ़ने लिखने व अन्य कार्य सीखने में है अतः उसे औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र से आठवीं की परीक्षा दिलवाकर स्कूल में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश दिलवाया जाना चाहिए जिससे कि वो भविष्य में पढ़ लिखकर या अन्य काम सीखकर कुछ बन सके।

व्यक्तिगत अध्ययन 12

1. सामान्य जानकारी :

कुमारी बाली उर्फ बिटटी ग्राम ठीकरी जिला रायसेन मध्यप्रदेश की रहने वाली है। बाली वर्तमान में कक्षा सातवीं की छात्रा है। बाली की उम्र 15 वर्ष है। बाली पूर्ण रूपेण स्वस्थ और देखने में आकर्षक है।

2. पारिवारिक विवरण :

बाली के पिता का नाम श्री राकेश साहू है जो कि नौकरी करते थे। बाली की मॉ का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। बाली के तीन भाई है और पिता ने दूसरी शादी करली है। पिता प्रारंभ से ही भाइयों और बाली के बीच भेदभाव करते थे। 6 वर्ष की उम्र तक बालिका अपने घर रही किन्तु बाली के अनुसार किसी रिश्तेदार के साथ उसके कोई संबंध नहीं रहे।

3. समस्या का विवरण :

बाली कहती है कि मां की मृत्यु के बाद पिताजी एक दिन अचानक उसे गॉव में छोड़कर भाईयों को लेकर दिल्ली चले गये। उस समय बाली की उम्र मात्र 6 वर्ष थी कुछ दिनों बाद बाली ने लड़के का भेष धरकर एक होटल में काम कर अपना पेट भरा। होटल मालिक उसे खाना पीना, रहना, सोना इत्यादि सभी सुविधाएं भी देता था। बाली बाद में होटल मालिक के घर पर उनके बच्चे संभालने लगी। तभी एक दिन पुलिस वालों ने आकर उसे किशोर कल्याण बोर्ड में पेश किया जहॉ से न्यायालय के आदेशानुसार अक्टूबर 1998 में किशोर बालिका गृह, भोपाल भेजा गयातब बाली की उम्र 8 वर्ष थी, तब से बाली इसी संस्था में है।

4. विद्यालयीन विवरण :

बाली वर्तमान समय में कक्षा सातवीं में सतगुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेहरू नगर में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है। बाली ने पांचवी कक्षा 2003–2004 में 54 प्रेतिशत अंकों से कक्षा छठवीं 58 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की।

शिक्षकों के अनुसार बाली का मन पढ़ाई में लगता है। बाली के अनुसार उसका रूचिकर विषय विज्ञान है। पढ़ाई के अलावा उसे खेलकूद में विशेष रूचि है। वह स्कूल में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में खेलकूद और गायन में समय–समय पर भाग लेती है।

5. विशेष उपलब्धी :

बाली के संबंध में स्कूल के स्पोर्टस टीचर श्री पाण्डे बताते हैं कि बाली ने कबड्डी, खो–खो, गोला फेंक ओर हेंड बाल खेल में राज्य व संभाग स्तर पर कई पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रापत किये हैं आपके अनुसार बाली एक खेल प्रतिभा है।

6. किशोर बालिका गृह के बच्चों और कर्मचारियों के विचार :

संस्था के कर्मचारियों के अनुसार बाली एक बहुत ही अच्छी लड़की है। सभी कर्मचारी बाली के व्यवहार से संतुष्ट हैं। बाली एक आज्ञाकारी लड़की है जोकि स्टॉफ के सदस्यों के प्रति शिष्ट व्यवहार करती है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब बाली डांट खाती है वो भी गलतफहमी के कारण कभी–कभी आरोप बालिका पर लग जाते हैं।

हम उम्र बालिकाओं से बहुत कम बातचीत करती है अन्य बालिकाओं के साथ मधुर व्यवहार है। छोटों से बहुत प्यार करती है।

बाली के किसी परिचित या रिश्तेदार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। क्योंकि बाली किसी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

7. मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बाली उच्च स्वाभिमानी व संवेगात्मक रूप से परिपक्व है, कठोर हृदय वाली और व्यवहारिक है, समूह के साथ रहना पसंद करती है।

2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र खेलकूद एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र कला हैं

3. बाली के समायोजन परीक्षण के अनुसार बाली का सभी परिस्थितियों में समायोजन मध्यम है।

4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बाली की बुद्धि औसत है।

8. बाली का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

बाली अपने बचपन को याद करके बरबस ही दुखी हो जाती है। बाली कहती है कि मॉ को बचपन में ही खो दिया तथा पिता ने न चाहते हुए भी मुझे अपने से दूर कर दिया। इस प्रकार मैं अनाथ हो गई। मां–बाप का प्यार, घर, परिवार क्या होता है? यह सब मुझे कुछ भी मालूम नही है।

9 संस्था में बाली द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलाप

संस्था की रसोइया श्रीमती सुशीला उइके बताती है कि बाली खाना बनाने में अति निपुण है। अकेले ही अधिक से अधिक लोगों का खाना कम समय में व अच्छा बनाती है। बाली संस्था में ही अन्य छोटी–2 लड़कियों को पढ़ाती है।

10. अनुसंधानकर्ताओं का अवलोकन एवं विश्लेषण :

बाली के साथ स्वयं उसके जन्मदाता ने विश्वासघात किया है इसलिए बाली सामाजिक बंधन और रिश्ते नातों पर विश्वास नहीं करती। बाली अपने बारे में ज्यादा कुछ बताना पसंद नहीं करती है। संस्था में ही रहकर पढ़लिखकर पुलिस इंस्पेक्टर बना चाहती है। संस्था में रहकर काफी खुश है।

11 निष्कर्ष :

बाली की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है :–

1. मॉ का स्वर्गवास।

2. पिता द्वारा उपेक्षा और त्याग।

3. अन्य किसी रिश्तेदारों द्वारा अपनाया न जाना।

4. लैंगिक भेदभाव ।

12. सुझाव :

बाली अपने परिवारजनों की उपेक्षा से दुखी हो गई है। इसलिए घर नहीं जाना चाहती। बाली 7 सालों से संस्था में है और यहां खुश है अतः पढ़ाई लिखाई में उसे प्रोत्साहन देकर उसकी आकांक्षा को पूरी करना चाहिए। इसके अलावा बाली को खेलकूद में विशेष प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिससे वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन सके अपना व अपने देश का नाम रोशन कर सके।

व्यक्तिगत अध्ययन – 13

1. सामान्य जानकारी :

कुमारी अंजली देशमुख जिसकी आयु 15 वर्ष है तथा जिसके निवास स्थान की जानकारी नहीं है वर्तमान में किशोर बालिका गृह भोपाल में रह रही है। अंजली दिखने में सामान्य परंतु बातचीत में तेज तर्रार मालूम पड़ती है।

2. पारिवारिक विवरण :

अंजली को अपने पिता का नाम नहीं मालूम और वह अलग–अलग नाम अपने पिता के बताती है कभी भालेराव तो कभी कार्तिक। अंजली को इतना याद है कि उसके पिता की किराने की दुकान है। माता गृहणी है और अक्सर अंजली ने उनहें घर पर ही काम करते देखा है। माता–पिता की शिक्षा के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है। अंजली ने पुलिस और संस्था मे यह बताया कि उसके दो भाई और दो बहने हैं। अंजली को आज भी अपने माता पिता से लगाव है। माता–पिता के संबंध परस्पर अच्छे थें अंजली के अनुसार घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी।

3. समस्या की जानकारी :

अंजली कहती है कि वह मात्र 6 वर्ष की थी (कुछ ही दिनें पहले मेरा छटॅवा जन्मदिन मनाया गया था।) उसके कुछ दिनों बाद मेरा झगड़ा भाई से हो गया। मां ने मेरी डंडे से पिटाई कर दी। इस कारण मैं घर छोडकर निकल आई। अंजलि के अनुसार वह ट्रेन में बैठकर बीना पहुंची वहॉ एक पुलिस (जी. आर. पी. बीना) द्वारा पकडे जाने के बाद अंजलि को पुलिस ने 2–4 दिन अपने घर पर रखा। उसके बाद कोई खोज खबर लेने वाला जब अंजलि के संबध में नही मिला तो उसने न्यायालय द्वारा सन् 1996 में बाल अधिनियम के अनुसार उपेक्षित बालिका घोषित किया एवं सागर में ही लड़कों की सस्था (बाल संप्रेक्षण गृह सागर) में दो साल रखा गया। इसके बाद रायपुर भेजा गया और फरवरी सन् 1998 में किशोर बालिका गृह, भोपाल भेजा गया।

4. **स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :**

स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत एवं डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अंजलि की ऊंचाई 5 फीट एवं वजन 38 किलोग्राम है। अंजलि को अप्रैल 2000 में एक बार उच्च बुखार होने पर काटजू अस्पताल भोपाल में भर्ती किया गया। अंजलि को गले में हल्का दर्द रहता है। वर्तमान में भी इलाज चल रहा है। अंजलि –.25 नंबर का चश्मा लगती है।

5. **विद्यालयीन विवरण :**

नेहरू नगर स्थित सत्गुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार अंजलि के पिछला शैक्षणिक विवरण औसत है और वह किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। अंजलि का रूचिकर विषय विज्ञान है एवं अरूचिकर विषय गणित है। अंजलि ने पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैस गायन, नृत्य, भाषण और नाटक में सदा बढ़ चढ़कर भाग लिया है।

6. **किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों व अन्य बालिकाओं के विचार :**

अंजलि के संबंध में परीविक्षा अधिकारी श्रीमति इक्का मैडम बताती है कि वह एक चंचल, प्रसन्नचित, सवेंदनशील लड़की है। जो कि वास्तविकता को समझती है। किशोर गृह की सभी दूसरी बालिकाएँ अंजलि को बहुत मानती है क्योंकि वह बहुत ही मस्त लड़की है सभी को अपना बना लेती है और खश रहती है। अंजलि हर घटना को चाहे वो स्कूल हो, स्टॉफ सदस्यों की या हमउम्र लडकियों की उसे बडे रोचक ढंग से बताती है। सभी कहते है कि अंजलि को दिखावा और ऐशोआराम पसंद है।

7. **मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :**

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि अंजलि जल्दी गुस्सा होती है जल्दी ही नाराज हो जाती है जिंदादिल, सामाजिक और

भावुक है। दूसरों की सहायता करती है एवं अपनी गलती मानकर उसको दूर करने का उपाय करती है।

2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि अत्यधिक रूचि व क्षेत्र अंजलि का समाज सेवा एवं सामान्य रूचि का कला है।

3. समायोजन परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि अंजलि का समायोजन क्रमशः स्वतः, समूह और कुल अतिकम है। बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धिलब्धि सामान्य से ऊपर पाई गई है।

8. अंजलि का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

अंजलि से पूछे जाने पर कि तुम घर से नाराज होकर क्यों भागी? अंजलि कहती हूँ कि मैं गुस्सा हो गई थी और गुस्से में मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कहां जा रही हूँ। अंजलि कहती है कि मैंने सोचा बाहर की दुनिया मैं ना कोई डॉटेंगा मारेगा, ना कुछ करने को कहेगा बल्कि अपनी मर्जी से खेलो, खाओं, घूमों। परंतु अब अंजलि को अपने भागने पर बहुत पछतावा होता है। उसे अपने घर की घरवालों की बहुत याद आती है किंतु सही पता न होने के कारण कई प्रयासों के बावजूद भी वह घर नही जा सकी।

9. अनुसंधानकर्त्ता का अवलोकन एवं विश्लेषण :

अंजलि को अपने किये पर शर्मिन्दगी हैं और पश्चाताप भी। अंजलि एक खुशमिजाज ओर मिलनसार लड़की है। अंजलि को घरवालों और माता–पिता का भरपूर प्यार तथा स्नेह मिला। अंजलि भी अपने परिवार वालों से भरपूर प्यार करती है तथा उनके लिए प्रबल समर्पण हैं उसे मन में।

अंजलि शांत प्रसन्नचित्त, स्थिरचित्त वाली लडकी है। सामान्य तौर पर इसे गुस्सा नहीं आता है, परंतु जब क्रोध आता है तो खुद पर नियंत्रण नही रख पाती। वह आज्ञाकारी लडकी है। किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों को इस पर बहुत भरोसा है। अंजलि भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है।

10. निष्कर्ष :

अंजलि एक उपेक्षित बालिका है जो कि बहुत छोटी उम्र में ही घर से भाग आयी इस बात के लिए उसे आज भी पश्चाताप है इसलिए इतने वर्षो संस्था में रहने के बाद भी अपने घर जाने की आशा संजोए हुए है।

इस घटना के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है

1. समाज में नैतिकता की दिनों दिन आती कमी।
2. अंजलि का क्रोधी स्वाभाव।

11. समस्या सुधार हेतु उपाय/सुझाव :

अंजलि आज इतने वर्षो बाद भी अपने घर जाने की तीव्र इच्छा रखती है। संस्था में आने के बाद उसने घर का पता लगाने की काफी कोशिशें की गई परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। बालिका केवल अपने शहर में बिकने वाली चीजों के नाम बता पाई। इसलिए वर्तमान में फिर एक बार नये सिरे से प्रयास कर टी. वी. व पुलिस के माध्यम से सहायता लेकर उसके घर का पता लगाना चाहिए। जिसकी की बचपन में परिवार के जिस स्नेह व प्यार के वो वंचित रह गई वो आज पुनः पा सकें।

व्यक्तिगत अध्ययन – 14

1. सामान्य परिचय :

कु. राखी गुप्ता मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के पलासिया की निवासी है। जिसकी उम्र 14 वर्ष है तथा सामान्य कद काठी की लड़की है जो सन् 23.031999 से किशोर बालिका गृह भोपाल में रह रही है।

2. पारिवारिक विवरण :

राखी के पिता का नाम किशोरीलाल गुप्ता है जो कि अनपढ़ हैं। इंदौर में एक कारखाने में ट्रक ड्रायवर का काम करते है। राखी के बताये अनुसार घर का आर्थिक स्तर बहुत निम्न है सब कुछ न कुछ कार्य करते है जैसे– राखी लकड़ी जंगल जाया करती थी। भाई गैरेज में कार्य करता है इसीतरह सबकी कमाई में घर चलता था राखी के माता पिता में तलाक हो चुका है। राखी की सगी मॉ नाम वीणा है जिन्होंने रमेश वाघरी नामक व्यक्ति से शादी कर ली। जो कि मिस्त्री का काम करते हैं मॉ वीणा भूसा बेचने का ट्रक से ईंट उतारने का काम करती है। दोनो उज्जैन में रहते है। राखी के सगे पिता ने उर्मिला नाम की एक महिला से शादी कर ली हैं और ये इंदौर मे रहते है। राखी के दो सगे भाई है एवं एक सौतेली छोटी बहन है। राखी और उसका एक सगा भाई अपनी सगी मॉ के पास उज्जैन में रहते है।

3. समस्या की जानकारी :

राखी की सगी मॉ और सौतेले पिता उज्जैन में रहते थे जिनके साथ राखी और सगा भाई रहते थे, परंतु सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा नही था। इसलिए राखी और उसके भाई अपने सगे पिता की खोज में इंदौर आ गए। परंतु पिता ने मकान बदल लिया। अतः वह लोग पता नही खोज पाये। इस तरह से रास्ते भटक गए। उज्जैन वापस मॉ के पास जाना चाहते थे परंतु गलत ट्रेन पकडकर पहुंच गए। मुबंई में ट्रेन में झाड़ू लगाकर कुछ पैसे कमाते थे।

एक दिन पुलिसवालों ने पकडकर किशोर कल्याण बोर्ड महाराष्ट्र भेज दिया। चूंकि राखी मध्यप्रदेश की निवासी है, अतः उसे किशोर कल्याण बोर्ड भोपाल द्वारा धारा13 (1) के तहत 23.03..1999 को किशोर बालिका गृह भेज दिया गया।

4. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी :

राखी 5 फिट ऊंचाई की एवं 40 किलोग्राम वजन की एक सामान्य कद काठी की लडकी है सन् 2001 में राखी को तपेदिक का इलाज चल रहा था किंतु वर्तमान में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है।

5. विद्यालयीन विवरण :

परीविक्षा अधिकारी बताती हैं कि वर्ष 2001 में कक्षा छटवी की परीक्षा राखी ने दी थी। जिसमे पूरक प्राप्त हुई थी अंग्रेजी गणित विषय में। बाद में पूरक परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो गई। इसलिए 2001–2006 में राखी पुनः कक्षा छटवी में सतगुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर में अध्ययनरत है।

राखी की पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हैं वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं मे भाग लेती है राखी गाना बहुत अच्छा गाती है राखी में नेतृत्व क्षमता भी है। क्योंकि वह कक्षा की मानीटर भी थी।

6. मनोंवैज्ञानिक परीक्षण व परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तिव प्रश्नावली से यह विश्लेषण ज्ञात हुआ कि राखी चिंतित, चिडचिडी और जरी सी भी हलचल से परेशान हो जाती है। दूसरो का कहना मानती है। अपनी बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम एवं कूटनीतिज्ञ है। दिवास्वप्न देखने वाली और नर्वस टाईप की है। ताकतवर है।समूह के साथ रहना पसंद करती है।स्वयं पर विश्वास रखती है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र समाज सेवा एवं कला व सामान्य रूचि का क्षेत्र खेलकूद है।

3. समायोजन परीक्षण में राखी का स्वतः, समूह एवं कुल समायोजन मध्यम है।

4. बुद्धि परीक्षण में राखी की बुद्धि लब्धि औसत से उपर है।

7. व्यवहार संबंधी जानकारी :

अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अवलोकन तथा संस्था के विभिनन कर्मचारियों से बातचीत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि :–

राखी शांत, स्थिरचित्त और उदास, भयभीत हृदय लड़की है जो नई परिस्थिति तथा अपरिचित लोगों से भयभीत हो जाती है। साथ ही राखी आज्ञाकारी, अनुशासनप्रिय, सहयोगी एवं वास्तविकता को समझने वाली है जिसमें विश्वास की कमी है। राखी को उसके अभिभावकों का स्नेह नहीं प्राप्त हुआ। परंतु भाईयों का भरपूर स्नेह मिला।

किशोर बालिका गृह की अन्य सभी बालिकाओं के साथ रखी का व्यवहार अच्छा हे। परंतु कभी–कभी जब कोई लड़ाई झगड़ा करती है तो बालिका भी झगड़ती हैं। राखी गाना बहुत अच्छा गाती है।

8. राखी की नज़र में उसके द्वारा किया एक सबसे अच्छा तथा एक सबसे बुरा कार्य

सबसे अच्छा कार्य :

राखी बतलाती है कि एक बार जब वह जंगल में लकड़ी काटने गई थी तब उसकी एक सहेली को भालू ने पकड़ना चाहा था तब राखी ने अपने दुपट्टे में माचिस लगाकर आग दिखाकर भालू को भगाया और उसकी सहेली को बचाया। यह उसकी नज़र में सबसे अच्छा कार्य था।

सबसे बुरा कार्य :

राखी कहती है कि एक बार जब उसने आम के बगीचे से आम चुराए थे तथा माली ने देखा तो उसे पत्थर मारकर भाग आई थी। जिसके कारण बाद में उसे काफी दुख हुआ था। यह राखी के लिए सबसे बुरा कार्य था।

राखी का सबल पक्ष तथा निर्बल पक्ष :–

सबल पक्ष – दृढ़ निश्चय, कठिन मेहनत

दुर्बल पक्ष – डर

10. **निष्कर्ष :**

अनेक स्त्रोतों से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि राखी अपने ही माता–पिता की गल्तियों के कारण इस परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर है और वक्त से पहले ही परिपक्व हो गई।

11. **समस्या सुधार हेतु सुझाव :**

राखी जब तक संस्था में है तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राखी की समस्या को देखते हुए यही सुझाव दिया जा सकता है कि उसकी सगी मॉ का पता लगाकर उसे वहां भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि राखी अपने घर को काफी याद करती है। इस कार्य में दूरदर्शन, अखबार ओर पुलिस वालों की मद्द लेना चाहिए। ताकि वह अपने घर जा सके और इस उपेक्षित जिंदगी को छोड़कर अपने परिवारजनों के साथ रहे ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो और वो उपेक्षित न हो।

व्यक्तिगत अध्ययन – 15

1. सामान्य जानकारी :

15 वर्षीय कुमारी कल्पना अहिरवार कठकुआ सेमरी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। कल्पना पूर्णतः स्वस्थ, गोरी पॉच फीच तीन इंच लंबी एवं 45 किलोग्राम वजन की लड़की है जो वर्ष 28.7.1999 से किशोर बालिका गृह में रह रही है।

2. पारिवारिक जानकारी :

कल्पना चार भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान है कल्पना के पिता श्री जगदीश अहिरवार की ''हीरो साईकिल सर्विस'' नाम की दुकान सीहोर बस स्टेण्ड में है। साथ ही वह सुपाड़ी का धंधा भी करते है। माता श्रीमती सुशीला अहिरवार गृहणी है तथा सीधी सादी है इनको अधिक दुनियादारी नहीं आती। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यमवर्गीय थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। माता पिता के सीधे–साधे पन का कल्पना ने सदा फायदा उठाया और झूठ बोलकर तथा नित नये बहाने बनाकर कल्पना पैसे लेती रहती थी। इसके अतिरिक्त श्री अहिरवार की उत्तरप्रदेश में पुश्तैनी जमीन जायदाद भी है।

3. समस्या का विवरण :

संस्था द्वारा कल्पना के घर का पता लगवाया गया तब कल्पना के पिता ने कल्पना के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जो इस प्रकार है :–

कल्पना के पिताजी ने बताया कि कल्पना द्वारा मॉ से बहाने बनाकर झूठ बोलकर पैसे लेने के कारण दिनोंदिन उसकी आदतें बिगड़ गई तथा छोटी सी उम्र में अनेक बुराईयां उसके जीवन का अंग बन गई। बचपन से ही कल्पना का आचरण ठीक नहीं था। अनेक लड़के उसके दोस्त बन गए थे। कुछ पैसे मॉ से मांगकर कुछ पैसे चोरी करके कल्पना के स्कूल का टाइम दोस्तों के साथ मौज मस्ती मनाने में बीतने लगा।

कल्पना को बस यही लगता कि पैसे से सब चीज खरीद सकते हैं और ऐशोआराम फालतू की खरीददारी ही सब कुछ है।

ऐसे ही अचानक एक दिन कल्पना सीहोर जिले से सनावद पहुंच गई। वहां एक महिला पुलिस ने पकड़ कर दो–चार दिन अपने यहां रखा फिर इंदौर की एक संस्था में भेज दिया। कुछ दिनों बाद वहां से खरगौन, उसके बाद वहां के किशोर कल्याण बोर्ड भोपाल भेजा गया जिनके आदेशानुसार 28.07.1999 को किशोर बालिका गृह में प्रवेश दिया गया।

कल्पना ने संस्था में आने के बाद काफी समय तक झूठ बोला। कल्पना द्वारा तो यह भी बताया गया कि उसके पिता का देहांत हो गया है और मां की मारपीट से तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। कल्पना ने अपने घर का पता तक गलत बताया था।

4. विद्यालयीन विवरण :

कल्पना कक्षा सातवीं में अध्ययनरत है। किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई। पढ़ाई–लिखाई में विशेष उपलब्धि नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेती है। न ही किसी अन्य क्षेत्र में रूचि है।

5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिणाम :

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि कल्पना अपने आप को सही मानती है। स्वयं को नैतिकता का शिक्षक मानती है। नेतृत्व के गुण हैं परंतु वह काल्पनिक अस्तित्व में विश्वास रखती है। गैर जिम्मेदार प्रकृति की है एवं संवेगों से जल्दी प्रभावित नहीं होती है।
2. किशोर अभिरूचि परीक्षण द्वारा अत्यधिक रूचि का क्षेत्र समाज सेवा एवं सामान्य रूचि का क्षेत्र कला है।
3. समायोजन परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि बालिका का स्वतः समूह एवं कुल समायोजन बहुत कम है।
4. बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि लब्धि सामान्य से उपर है।

6 व्यवहार संबंधी जानकारी :

अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अवलोकन एवं संस्था के विभिन्न कर्मचारियों से बातचीत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि –

कल्पना एक चंचल, प्रसन्न चित्त, स्थिरचित्त एवं भयभीत रहने वाली लड़की है। किंतु इन गुणों के अतिरिक्त कल्पना में कुछ दुर्गुण भी हैं जैसे आज्ञा न मानना, बदला लेने की भावना होना, स्वार्थी एवं ध्वंसात्मक प्रवृत्ति इत्यादि।

7. किशोर बालिका गृह के कर्मचारियों तथा बालिकाओं के विचार :

किशोर बालिका गृह के कर्मचारी लोगों का मानना है कि मॉ के लाड़–प्यार ने कल्पना को बिगाड़ दिया तथा बाहर के आवारा बच्चों के संपर्क में आकर कल्पना सही मार्ग से विचलित हो गई। कल्पना टॉफ के सदस्यों की भी आज्ञा का उल्लंघन करती है। उनके कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करती। कभी–कभी तो अपने से बडों को जवाब भी दे देती हैं ।

बालिका गृह की अन्य बालिकाओं से लड़ाई–झगड़ा करती रहती है। इस प्रकार किशोर बालिका गृह की अन्य बालिकाओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं है।

8. कल्पना का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण :

कल्पना अपने संबंध में सत्य बात नहीं बताती। कल्पना में झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। वह बातों को घुमा फिराकर बताती है। वह कहती है कि मॉ के मारने पर घर से भागी और पुलिस ने पकड़ लिया। परंतु कल्पना बातों ही बातों में अपने द्वारा की गई हरकतों तथा गलतियों का अफसोस भी करती है। उसका मानना है कि उसने मम्मी का विश्वास तोड़ा तथा परिवार वालों से विश्वासघात किया है। बाहर निकलकर संस्था से वह कुछ बनना चाहती है।

9. अनुसंधानकर्ता का अवलोकन तथा विश्लेषण :

कल्पना अपने परिवार की तीसरे नंबर की लड़की है उसके पिताजी भी अधिकतर व्यस्त रहते हैं अतः कल्पना का बाहरी दोस्तों के बहकावे में आना स्वाभाविक है। बाहरी

दोस्त भी इसलिए कल्पना की तरफ आकर्षित थे क्योंकि कल्पना के पास पैसा रहता था तथा वह ज्यादा दुनियादारी नहीं समझती थी। समायोजन क्षमता कम होने के कारण उसके मन में हमेशा असुरक्षा का भाव रहने लगा। जिसके कारण उसका पारिवारिक सदस्यों से विश्वास उठता गया।

संस्था द्वारा कल्पना के घर का पता लगवाया गया तब ज्ञात हुआ कि कल्पना के पिता जीवित हैं जबकि बाकि द्वारा बताया गया कि उसके पिता का देहांत हो गया है। पिता द्वारा कल्पना का आचरण ठीक नहीं है ऐसा बताया गया पिताजी ने यह भी कहा कि कल्पना को संस्था में ही रहने दिया जाए।

10. सुझाव :

कल्पना के बारे में सभी जानकारियों मिलने के बाद यह कहा जा सकता है कि कल्पना को संस्था में ही रखा जाना उचित है। कल्पना की पढ़ाई–लिखाई में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कल्पना को उचित परामर्श देकर उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति को छुटवाई जानी चाहिए।